राजस्थान विधान सभा

तृतीय बैठक, बुधवार, दिनांक २३ नवम्बर, सन् १९५५ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में ८-४० बजे प्रातः प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या २०

जयपुर जिले में नियुक्त असेसर्स एवं उनके भत्ते

श्री चांदमल मेहता—क्या विधि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर जिले के किन किन न्यायालयों में असेसर नियुक्त हैं ?

(ख) असेसरों को क्या क्या अलाउन्स दिया जाता है ?

(ग) किशनगढ़ के न्यायालय में कौन कौन असेसर हैं ?

(घ) उक्त न्यायालय के असेसरों को कब से अलाउन्स दिया जाना बन्द किया गया है ?

(ङ) जयपुर जिले के न्यायालयों के असेसरों में से किन किन पर १ जनवरी, ५४ के बाद कितना कितना फाइन गैर हाजिर रहने की वजह से किया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास (विधि मंत्री)— (क) सन् १९५१ के अक्टूबर मास से तमाम सेशन मुकदमों की सुनवाई असेसरों की सहायता से होती है; अर्थात् जयपुर जिले में निम्न न्यायालयों में असेसर्स कार्य करते हैं:—

डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज, जयपुर डिस्ट्रिक्ट,

,, ,, ,, ,, जयपुर सिटी,

सिविल एण्ड एडीशनल सेशन्स जज, किशनगढ़

,, ,, ,, ,, ,, जयपुर

(ख) असेसरों को यात्रा व्यय तथा निर्वाह भता के भुगतान का मामला दिनांक २१ अगस्त, १९५१ की न्याय विभाग की विज्ञप्ति के अन्तर्गत प्रकाशित नियमों द्वारा नियमित होता है।

Page No.2

[श्री रामकिशोर व्यास]

रेल गाडी के किराये या सड़क यात्रा के किराये पर हुए वास्तविक व्ययों के अतिरिक्त गैर सरकारी असेसर को, उसके निवास स्थान से प्रत्येक दिन की अनुपस्थिति तथा न्यायालय में उपस्थिति के लिये निर्वाह भत्ता जो ५) रु० प्रतिदिन से अधिक नहीं होता है, दिया जाता है। वह श्रेणी जिससे असेसर यात्रा करने का अधिकारी है तथा उसको दिये जाने वाले निर्वाह भत्ते की दर, न्यायालय द्वारा उसकी सामाजिक स्थिति तथा हैसियत को देखते हुए तय की जाती है। उच्च न्यायालय ने, असेसरों को देय भत्तों के अधिनिर्धारण के सम्बन्ध में नियमों की बारीकियों को समझाते हुए, सत्र न्यायालयों के पथ प्रदर्शन के लिये समय समय पर परिपत्र (सर्क्यूलर) जारी किए हैं। इस निश्चय पर अन्तिम परिपत्र, दिनांक १२-६-५४ में बतलाया गया है कि असेसर केवल उनकी जेब से हुए वास्तविक व्यय को पाने के ही अधिकारी हैं, कोई पारिश्रमिक या हानिपूर्ति पाने के अधिकारी नहीं। इस सम्बन्ध में देय अधिकतम राशि ५) रु० प्रतिदिन है। यह उन असेसरों की दशा में लागू होगा जो न्यायालय के हैडक्वार्टर के अलावा भिन्न स्थानों से आते हैं और जिनको ठहरने और खाने में पर्याप्त व्यय करना पड़ता है। स्थानीय असेसरों के लिए, जिनको कि सवारी के व्यय के अलावा प्रत्यक्ष में और कोई व्यय नहीं करना पड़ता है, अधिकतम २) रु० प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करना पर्याप्त होना चाहिए। न्यायालय समस्त मामलों में, यहां तक कि स्थानीय असेसरों के लिये भी प्रतिदिन २)रु० जेब से किया जाने वाला व्यय अनुमानित कर सकता है और अधिक भी दे सकता है, यदि ऐसा व्यय वास्तव में किया हुआ दिलाया जावे।

ऐसी रिपोर्ट की गई है कि सत्र न्यायालयों में उपस्थित होने वाले असेसरों को इसके अनुसार ही भत्ते दिये जाते हैं।

(ग) किशनगढ़ स्थित सिविल एण्ड ऐडीशनल सेशन्स जज के न्यायालय में सहायता देने के लिये १०५ असेसर नियुक्त हैं--जिनकी सूची 'क' सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(घ) उक्त न्यायालय के किसी भी असेसर का भत्ता बन्द नहीं किया गया है। प्रत्येक असेसर को भत्ता-बिल पेश करने पर बराबर भत्ता दिया जाता रहा है।

(ङ) १ जनवरी, १९५४ के बाद से अब तक जयपुर ज़िले के सेशन्स जज के न्यायालय ने गैर हाजिरी की वजह में किसी असेसर पर कोई जुर्माना नहीं किया है--अलबत्ता सिविल एण्ड ऐडीशनल सैशन्स जज, किशनगढ़ ने असेसर्स के अनुपस्थित रहने के कारण जुर्माना वसूल करने के आदेश दिये थे किन्तु वह आदेश भी असेसर्स द्वारा क्षमा याचना करने पर वापिस ले लिये गये और किसी भी असेसर पर जुर्माना नहीं किया गया है।

श्री चांदमल मेहता--सन् ५४ के बाद और पहले जो दैनिक अलाउन्स मिला करता था उसके बन्द किये जाने के क्या करण हैं?

Page No.3

श्री रामकिशोर व्यास—जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया दैनिक अलाउन्स जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उनको पांच रुपया दिया जाता है। शहरों में रहने वालों के लिए जो एक ही जगह जाते हैं उनको भी वास्तविक खर्चा दो रुपये तक देने के लिए तैयार हैं।

श्री चांदमल मेहता—मैं खर्चे देने की बात नहीं कहता, मेरा प्रश्न यह है कि सन् ५४ तक जो दैनिक अलाउन्स दिया जाता था उसको बन्द करने का क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास—हाईकोर्ट ने मुनासिब समझा। वाकई में जो व्यय हो उसके अलावा पांच रुपये से ज्यादा नहीं दिया जाय।

श्री चांदमल मेहता—उनको पारिश्रमिक नहीं दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास—पारिश्रमिक देना उच्च न्यायालय ने उचित नहीं समझा।

श्री चांदमल मेहता—तो क्या सरकार बेगार में काम लेना चाहती है।

श्री रामकिशोर व्यास—इसमें वही लोग आते हैं जो सेवा करना चाहते हैं, बेगार लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सेवा करते हुए जो कुछ खर्चा उनका होता है वह दिया जाता है। यह कोई कमाई की तो जगह है नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो लोग त्यागपत्र देना चाहते हैं उनके त्यागपत्र स्वीकार नहीं किये जाते ?

श्री रामकिशोर व्यास—माकूल वजह हो तो स्वीकार किये जाते हैं।

श्री चांदमल मेहता—त्यागपत्र देने की माकूल वजह क्या होनी चाहिये ?

श्री रामकिशोर व्यास—आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को मुलाहिजा फरमाइये। क्या क्या त्यागपत्र के कारण होने चाहिये, उसमें सब है।

श्री चांदमल मेहता—जिन असेसरों की नियुक्ति उनकी बिना स्वीकृति के की गई है उनके त्यागपत्र स्वीकार नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—त्यागपत्र देने के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में रूल्स है। जहां तक राय लिए जाने का प्रश्न है पहले उनको नोटिस दिया जाता है। या तो उनका जवाब आ जाता है और यदि नहीं आता है तो उसको स्वीकृति मान कर उनको असेसर नियुक्त कर दिया जाता है।

श्री चांदमल मेहता—आवश्यक कार्य की वजह से अगर कोई अनुपस्थित रहता है तो उसको अनुपस्थित रहने की आज्ञा न देने के क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष—This is a hypothetical Question.

श्री रामकिशोर व्यास—इसके बारे में रूल्स एण्ड रेगुलेशन्स क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हैं।

प्रश्न संख्या २१

भरतपुर तहसील जहाजपुर में बनास नदी के बांध के निर्माण से डूब में आने वाली भूमि

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या सिंचाई मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या अमरपुर तहसील जहाजपुर में बनास नदी के बांध का निर्माण हो रहा है ?

(ख) अगर हां, तो राजस्थान को इससे कितना लाभ होगा एवं इसके अन्तर्गत कितने सालिम गांव, मकानात एवं मन्दिर डूब में आयेंगे ?

(ग) इनको मुआवजा कब, कितना और किन किन आधारों पर मिलेगा ?

(घ) बांध के निमाण में सरकार का कितना खर्चा होगा।

(ङ) इस बांध से अलावा आवपाशी के क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोडयूस हो सकेगी।

श्री रामनिवास मिर्धा (सिंचाई मंत्री)—(क) इसकी जांच की जा रही है और अनुमान बनाया जा रहा है।

(ख) इससे २,५०,००० एकड़ सिंचाई की आशा है।

(ग) इसकी जांच की जा रही है।

(घ) यह सवाल उस समय पैदा होगा जब काम आरम्भ किया जायगा।

(ङ) बांध और नहरें सब पर, अनुमान है कि ५ करोड़ रुपया खर्च होगा।

(च) नहीं।

श्री सरदार सिंह—जब कि अभी काम चालू भी नहीं हुआ तो फिर वहां की जमीन के लिये ६० रु. प्रति एकड़ के हिसाब से तहसीलदार द्वारा क्यों लिया जा रहा है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—सरकार के सामने ऐसी कोई शिकायत नहीं।

श्री सरदारसिंह—सरकार के सामने कलेक्टर और तहसीलदार और मेरे द्वारा भी शिकायतें भेजी गई, उन पर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—ऐसी जानकारी आप दे रहे हैं, इस बारे में जांच कराई जायेगी।

प्रश्न संख्या २२

ग्राम पंचायत पी. (त. परबतसर) के चुनाव के विरुद्ध प्रस्तुत की गई याचिका की सुनवाई

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) ग्राम पंचायत पी (तहसील परबतसर) के चुनाव के खिलाफ चुनाव याचिका कब पेश हुई ?

(ख) उक्त चुनाव याचिका की सुनवाई किस अधिकारी द्वारा की जा रही है ?

(ग) कितनी मरतबा उक्त अधिकारी उक्त सुनवाई के सम्बन्ध में तारीखें मुकर्रर करके मौके पर नहीं पहुँचे ?

(घ) कितनी मरतबा सम्बन्धित पार्टीज़ को बिना सूचना दिये चुनाव अधिकारी ने इस चुनाव याचिका की सुनवाई की कार्यवाही की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—चूंकि यह मामला इलेक्शन पिटीशन्स की अन्तर्गत सब जुडिस है इसलिये इस पर यहां चर्चा करना उपयुक्त नहीं होगा।

प्रश्न संख्या २३

ग्राम गोठरा में मेजा नदी के बांध के निर्माण से आने वाली भूमि के लिए मुआवजा

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ग्राम गोठरा तहसील हिंडोली जिला बून्दी में मेज नदी के बांध का निर्माण हो रहा है ?

(ख) यदि हां, तो उस बांध से कितनी जमीन पीवल होगी ?

(ग) उसके पेटे में कौन कौन से ग्राम व कितने काश्तकारों की कितनी जमीन डूब में आवेगी तथा उनका मुआवजा किन किन आधारों पर एवं कब तक मिल जायेगा ?

(घ) क्या कोई किला भी इस बांध के डूब में आयेगा ? अगर हां, तो उसका कितना क्षेत्रफल है तथा वह कहां पर स्थित है और उसका कितना मुआवजा निर्धारित किया गया है ?

श्री रामनिवास मिर्धा (सिंचाई मंत्री)—(क) हां, हो रहा है ।

(ख) ८,८०० एकड़ ।

(ग) ग्राम टोडा गोधरा की जमीन और मकान डूब में आवेंगे और ग्राम रोनेजा की जमीन ।

(घ) करीब १३०० एकड़ जमीन डूब में आवेगी । किस किस काश्तकार की कितनी कितनी जमीन डूबेगी इसकी सूची तैयार की जा रही है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह—अभी मुआवजा नहीं दिया गया है काश्तकारों को और बांध बांधना शुरु हो गया है और इसी साल वह खत्म हो जायगा । गुजिश्ता साल में जमीन काश्त नहीं करने दी है लेकिन तहसीलदार ने लगान वसूल कर लिया है ।

श्री रामनिवास मिर्धा—लगान का सवाल तो आप राजस्व मंत्री जी से करिये । बांध बंधना शुरु हो गया और अभी भी जारी है और इस वर्ष में करीब २ मुआवजा दे दिया जायगा जमीनों का और मकानों का ।

रावराजा श्री सरदारसिंह—बांध बांधने से पहले उनकी जमीन को एक्वायर किया गया है, उसका नोटिस राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है क्या ?

श्री रामनिवास मिर्धा—किस विषय की जमीन के बारे में कह रहे हैं आप, उसकी बगैर जानकारी के विशेष उत्तर नहीं दे सकता । कभी ऐसा भी हो सकता है कि बगैर नोटिस के भी जमीन एक्वायर करनी पड़ती है । नोटिस निकालने के एन्टीसिपेशन में जमीन ले ली जाती है । बाद में कानून के मुताबिक उनको मुआवजा दे दिया जाता है ।

श्री हिम्मतसिंह (अटरु)—क्या गये चौमासे में बांध टूट भी गया था ?

श्री मिर्धा—यह नया प्रश्न है ।

श्री रामदयाल उपाध्याय—किला जो डूब में आ रहा है उसके मालिक कौन है, क्या इसकी जांच की जायगी ?

श्री अध्यक्ष—अभी उत्तर दे दिया ।

एक माननीय सदस्य—क्या प्रश्नकर्ता का वह किला है ?

श्री मिर्धा —हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २४

जनवरी १६५४ के पश्चात नागोर जिले में डकैतियों में लूटे गये माल की बरामदगी

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) १ जनवरी, ५४ के बाद नागोर जिले में कहाँ २ डकैतिया हुईं ?

(ख) प्रत्येक डकैती में कितना २ माल लूटा गया ?

(ग) किस २ डकैती में कितना २ माल बरामद कराया जा चुका है व किन किन लोगों को सजा हो चुकी है ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—मैं इसका उत्तर कल निवेदन करूंगा ।

प्रश्न संख्या २५

तहसील उनियारे में गलवा नामक बान्ध से डूब में आने वाली भूमि के लिए मुआवजा

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या तहसील उनियारा में कोई गलवा नामक बांध बँध रहा है ?

(ख) अगर हां, तो किस स्थान पर एवं कितनी लागत का ?

(ग) इस बांध से सरकार एवं काश्तकारों को कितना २ लाभ होगा ?

(घ) इस बांध के बंधने से कितने सालिम गांव डूब में आवेंगे और कितने मकानात-मन्दिर नष्ट होंगे ?

(ङ) उनके लिये सरकार ने कितना मुआवजा किन किन आधारों पर तय किया ?

(च) मुआवजा मिलना शुरू हो गया या नहीं ? अगर नहीं, तो कब तक मिल जावेगा ?

(छ) बांध का कार्य कब तक सम्पूर्ण हो जावेगा ?

श्री रामनिवास मिर्धा (सिंचाई मंत्री):— (क) हां ।

(ख) गलवा बांध उनियारा ग्राम के करीब दो मील दक्षिण में २०,८०,००० रु० की लागत का बन्ध रहा है ।

(ग) इस बांध के बंध जाने से करीबन १६,००० एकड़ जमीन आबपाश होगी ।

Page No.8

[श्री रामनिवास मिर्धा]

(घ) १५ गांवों के काश्तकारों की जमीन डूब में आवेगी। मकानात व मन्दिरों के बारे में जानकारी की जा रही है ।

(ङ) २,८०,००० रु० । मुआवजा नियमानुसार दे दिया जावेगा ।

(च) अभी नहीं । उम्मीद है कि मार्च, ५६ तक दे दिया जायगा ।

(छ) हां, शुरू हो गया है । आशा है कि जुलाई, सन् ५६ तक समाप्त हो जाय ।

प्रश्न संख्या २६

वर्तमान वर्ष में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने के आधार

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) चालू वर्ष में कितने आयुर्वेदिक औषधालय खोले गये ?

(ख) उक्त औषधालय कहां कहां खोले गये ?

(ग) जिन स्थानों पर औषधालय खोले गये हैं उनकी जनसंख्या कितनी २ है ?

(घ) नये औषधालय खोलने के लिए सरकार ने क्या क्राइटेरिया निश्चित किया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्त (स्वास्थ्य मंत्री):– (क) एक औषधालय खोला गया है । ७० और खोलने की योजना विचाराधीन है ।

(ख) ग्राम दातिल में ।

(ग) करीब ४५०० के ।

(घ) चिकित्सा की सुविधाओं के अभाव, जनसंख्या आदि को ध्यान में रख कर यह औषधालय खोले जाते हैं ।

श्री चांदमल मेहता—इस वर्ष जितने औषधालय स्वीकृत हुए हैं उनमें से सिर्फ एक ही के खोले जाने के क्या कारण हैं ? बाकी और औषधालय क्यों नहीं खोले गये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—बाकी ७० और खोलना विचाराधीन हैं ।

श्री चांदमल मेहता—मैं कारण जानना चाहता हूँ कि अभी तक नहीं खोलने का क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अभी यह निश्चित नहीं किया गया है कि कहां कहां खोले जाने चाहिए।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस वर्ष के अन्त तक यह औषधालय खोल दिये जायेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अन्त तक क्या, इसी महीने में खोल दिये जायेंगे।

श्री किशनलाल शाह—क्या यह सही है कि वर्ष के उत्तरार्ध में जो औषधालय खोले जाते हैं उनको पूरे साल की दवाइयां नहीं दी जाती हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नियमानुसार ६ महीने की दी जाती हैं क्योंकि वे ६ महीने ही तक इस साल चलेंगे।

श्री चांदमल मेहता—इस वर्ष जब कि मलेरिया का काफी जोर था उसको देखते हुए भी अभी तक यह औषधालय क्यों नहीं खोले गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मलेरिया के लिये चार लाख की दवाइयों का इन्तजाम कर दिया है। औषधालय के खोलने से और मलेरिया के इन्तजाम से इस पर कोई असर नहीं पड़ता है।

श्री किशनलाल शाह—क्या चालू साल की पूरी दवाइयां दी गई हैं या पूरे ६ महीने का बजट रखा गया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जितनी आवश्यकता है, उसके मुताबिक रखा गया है।

प्रश्न संख्या २७

किशनगढ़ शहर के तालाब जल थम्भन द्वारा सिंचाई

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) किशनगढ़ शहर के तालाब जल थम्भन के पीछे सिंचाई योग्य कितनी भूमि है।

(ख) पिछले पांच वर्षों में किस २ वर्ष में कितनी कितनी भूमि उक्त तालाब से सिंचाई की गई ?

(ग) चालू वर्ष में उक्त तालाब में कितने बीघों का पानी आया है ?

(घ) उक्त तालाब में पानी आने के कौन कौन से साधन बंद कर दिये गये या तोड़ दिये गये हैं।

श्री रामनिवास मिर्धा (सिंचाई मंत्री)—(क) किशनगढ़ शहर के तालाब जल थम्भन के पीछे सिंचाई योग्य ३०० बीघा जमीन है।

(ख) पिछले चार वर्ष में इस तालाब से कोई भी सिंचाई नहीं हुई है।

(ग) इस समय पेटे में मामूली पानी है, सिंचाई योग्य नहीं है।

(घ) उक्त तालाब में पानी की आमद के कोई भी साधन बंद नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—इस वर्ष काफी बारिश होते हुए भी इस तालाब में पानी नहीं आने का क्या कारण है।

श्री रामनिवास मिर्धा—इस तालाब में पानी बहुत कम आया है क्योंकि यह बहुत छोटा तालाब है। वर्षा के बाद सिर्फ ४ फीट पानी था और अब मुश्किल से २ फीट पानी है जो कि सिंचाई के लिए पर्याप्त नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि मौजूदा अराई की सड़क के निर्माण की वजह से तालाब में पानी आने के नाले बन्द कर दिये गये हैं?

श्री रामनिवास मिर्धा—ऐसी बात नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस तालाब में पानी आने के नाले बन्द होने के कारणों के बारे में सरकार जांच करवाने को तैयार है?

श्री रामनिवास मिर्धा—जी हां, जांच करायेगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २८

वर्तमान वर्ष में कुछ नई लाइनों पर बस चलाने के परमिट देने के आधार

श्री चांदमल मेहता—क्या यातायात मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) चालू वर्ष में कितनी नई लाइनों पर कितनी २ गाड़ियां चालू करने के परमिट दिये गये?

(ख) नये रूट कायम करने और नये व्यक्तियों को गाड़ियां चलाने के परमिट देने के लिये आधार क्या हैं?

(ग) ऐसे कौन कौन व्यक्ति हैं जिनके पास पहिले कोई लाइन नहीं थी व अब नये सिरे से इजाजत दी गई है?

[श्री चांदमल मेहता]

(घ) ऐसे कौन २ व्यक्ति या फर्म हैं जिनके पास ५ या इससे अधिक गाडियां पहिले से होते हुए भी नई गाड़ियों की इजाजत दी गई है ?

श्री रामनिवास मिर्धा (यातायात मंत्री)—(क) २१ नई लाइनों पर १२६ गाड़ियों के चलाने के परमिट दिये गये।

(ख) जनता की ओर से नये मार्ग खोलने की मांग आने पर ट्रान्सपोर्ट इन्सपेक्टर के द्वारा उस मार्ग का सर्वे कराया जाता है और उसकी रिपोर्ट पर रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी विचार करती है। यदि जनता की सुविधा और ट्राफिक की पोटेन्शियेलिटी ठीक होती है तो वह मार्ग खोल दिया जाता है। मोटर वेहीकल्स एक्ट की धारा ४७ के अनुसार विचार करके निर्णय करते हैं।

(ग) सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

(घ) जनरल मोटर सर्विस टोंक, धौलपुर मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसियेशन धौलपुर, मेसर्स जे. जी. सिंह ट्रान्सपोर्ट, उदयपुर रीज्यन।

श्री चांदमल मेहता—एक व्यक्ति या फर्म को अधिकतम कितनी गाड़ियों की परमिट दी जाय, क्या इस सम्बन्ध में कोई नियम हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जी नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या मंत्री महोदय की यह जानकारी में है कि परमिट ले लिये जाते हैं और आम तौर पर बाजार में बिका करते हैं।

श्री रामनिवास मिर्धा—जी नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि अभी जो परमिट देने का तरीका है वह डिफेक्टिव है !

श्री रामनिवास मिर्धा—अभी परमिट देने का जो तरीका है वह मोटर वेहींकल्स रूल्स के मुताबिक है और अभी तक कोई तरमीम की योजना सरकार के समक्ष नहीं है।

श्री अध्यक्ष—Questions are over. Not even 15 minutes full.

राज्य पुनर्गठन आयोग के अभिस्ताव पर प्रस्तुत राजकीय संकल्प पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद

श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के संबन्ध में राजस्थान के लिए जो सिफारिशें की गई हैं उन पर माननीय मुख्य मंत्री ने अपना एक प्रस्ताव सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया। कल से उन सिफारिशों के विषय में सदन में काफी चर्चाएं सुनने को मिलीं। अध्यक्ष महोदय, हम इन सिफारिशों के विषय में चर्चा करने से पूर्व राजस्थान की जनता ने और राजस्थान की सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष किन किन मांगो को प्रस्तुत किया था, उन मांगो में से कौन २ सी मांगे मन्जूर हुई हैं, उन सारी चीजों को समक्ष रखकर उसके उपर यह सोचना पड़ेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग की जो सिफारिशें राजस्थान के संबन्ध में हुई है उनको हम किस हद तक मान्यता प्रदान करें, किस हद तक उनमें और भी ऐसे सुझाव है जिन पर राज्य पुनर्गठन आयोग अपने विचार व्यक्त नहीं करते हुये भी उनको आवश्य किसी न किसी रूप में स्वीकृत कराने की जो बात हो सकती है उसके लिए वह बातें बाकी छोड़ी हैं।

राजस्थान की जनता की ओर से तीन प्रकार के मेमोरेन्डम प्रस्तुत किये गये। एक मेमोरेन्डम के द्वारा मांग की गई थी कि राजस्थान को तीन भागों में विभक्त किया जाय। एक भाग का नाम होगा मरुप्रदेश। एक स्मृति-पत्र के द्वारा मांग की गई थी कि राजस्थान के कुछ हिस्सों को मिला कर एक जांगलू हरियाना प्रान्त बनाया जाय। एक स्मृति-पत्र के द्वारा मांग की गई थी कि राजस्थान के कुछ हिस्सों को राजस्थान से अलग काट कर एक बृज प्रान्त का निर्माण किया जाय। राजस्थान सरकार ने एक अपना स्मृति-पत्र पेश किया था जिसमें राजस्थान के बाहर के राजस्थान के कुछ पड़ोसी हिस्सों को राजस्थान में मिलाया जाय, इस प्रकार की मांग की गई थी। यदि इन तीनों स्मृति-पत्रों और राजस्थान सरकार की ओर से पेश किये गये मेमोरेन्डम, इन चारों को एक साथ रख कर, राजस्थान के विषय में राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो रिकमन्डेशन की है उस पर विचार करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किन किन बातों की कमी अभी भी हमें महसूस होती है। यदि हम ऐसा सोचें कि आयोग की रिपोर्ट की रिकमन्डेशन के बाद, जो वातावरण पहले था उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ तो मैं यह कहूंगा कि जो वातावरण पहले था वह आज भी है। इस सम्बन्ध में इस प्रकार का प्रस्ताव जो माननीय चीफ मिनिस्टर की ओर से आया है कि हमें किन्हीं दलीलों के बिना ही इस आयोग की रिपोर्ट में रिकमन्डेशन की गई है, उनको स्वीकार कर लेना चाहिये, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के बाद देश में एक किस्म परिस्थिति पैदा हो गई है और वातावरण गंदा बन गया है कि इससे लोगों को यह भय है कि राजस्थान विधान सभा द्वारा जो स्वीकृत आयोग की सिफारिशें की हैं वे उन्हें मंजूर होंगी या नहीं। माननीय अध्यक्ष, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के पश्चात् भारतवर्ष में एक सुपर कमीशन की नियुक्ति हुई है। यह नियुक्ति कानूनी ढंग से तो नहीं हुई है बल्कि भारतवर्ष की सबसे बड़ी राजनैतिक, एक मात्र संस्था जिसे कहते हैं, उससे जिस प्रकार का देश में वातावरण पैदा हुआ है, उसके लिये सुपर कमेटी बनाई है। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट

[श्री भैंरूसिंह]

के पश्चात हम देखते है कि बम्बई जैसे Cosmopolitan city में महाराष्ट्र की मांग को लेकर एक विषम परिस्थिति पैदा हो गई है। इससे हमें नसीहत लेनी चाहिये और अगर हम इससे नसीहत लें तो हमें सोचना पड़ेगा कि कहीं पंजाब और राजस्थान में उसी प्रकार की कोई विषम परिस्थिति तो नहीं बन जायेगी। राजस्थान में जांगलू हरियाना की मांग थी वह समाप्त हो गई हो, ऐसा मैं नहीं मानता। पंजाब ने इसके लिये मांग की है। अगर पंजाब सूबे की मांग, सिक्खों की मांग मंजूर हो जाती है तो इससे राजस्थान को दो प्रकार का नुकसान होगा। पहले इन्होंने गंगानगर जिले के हिस्से की मांग की थी और बाद में अकाली नेताओं ने राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्यों से बात-चीत की तो उन्होंने पूरे गंगानगर जिले को छोड़ कर गंगानगर तहसील और हनुमानगढ़ तहसील की मांग की थी। इस सम्बन्ध में हमने उनके नेताओं के भाषण सुने हैं। समाचार-पत्र भी देखे है और उन्होंने जो इसके लिए धमकियें भी दी हैं, वे भी सुनी हैं। उन्होंने यह धमकियें दी हैं कि दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं कि हमें अपने हकों से महरूम रख सके। यदि भारत सरकार यह चाहती है तो हम इसके लिये आन्दोलन करेंगे और पंजाब सूबा बना कर रहेंगे। इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिये। महाराष्ट्र के लिये जो हो रहा है उससे भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए और फिर यह सोचना है कि राजस्थान के लिए क्या किया जाय, इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इसके लिये एक ही तरीका है और वह यह कि भारत सरकार से राजस्थान सरकार सिफारिश करे कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो सिफारिशें की हैं उनको फौरन अमल में लाया जावे। इससे राजस्थान को दो प्रकार का फायदा होगा। पहला फायदा तो यह होगा कि गंगानगर का जिला राजस्थान में रह जावेगा क्योंकि गंगानगर तहसील के लिये अकालियों ने मांग की है। मैं इस बात को मानता हूं कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने गंगानगर को पंजाब में मिलाने की अकालियों की मांग को बिल्कुल रद्द कर दिया है और यह कहा है कि यह पंजाब में मिल सके, ऐसी बात नही है। लेकिन आन्दोलन का जो स्वरूप बना है उसको ध्यान में रखते हुये हमें इस पर ध्यान देना होगा। अब अगर पंजाबी सूबा बन जाता है तो राजस्थान को नुकसान हो सकता है। पहले भी जब अकालियों का आंदोलन चला था उस समय सरकार ने उनके स्लोगन्स पर प्रतिबन्ध लगा दिया था और पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि सरकार उनकी मांग को मंजूर नही कर सकती। मगर एक समय आया कि उन्हीं स्लोगन्स को जायज मान कर आपस में बात-चीत हुई और अकाली नेता मास्टर तारासिंह और हमारे प्रधान मंत्री के....

श्री मोहनलाल सुखाडिया—माननीय अध्यक्ष, मैंने पहले भी अर्ज किया कि हम हमारे दायरे से बाहर चर्चा न करें, मगर यह चर्चा हमारे दायरे से बाहर हो रही है।

श्री भैंरूसिंह—यह हमारे दायरे में ही है क्योंकि गंगानगर .....

श्री अध्यक्ष—I don't think.

श्री भैंरूसिंह—राज्य पुनर्गठन रिपोर्ट में गंगानगर का जिक्र है। यह हमारे दायरे में है!

श्री अध्यक्ष—होगा।

श्री भैंरूसिंह—हमने जांगलू हरियाना की मांग की है।

(घंटा)

मैं यह प्रार्थना करता हुँ कि जो प्रस्ताव है उसमें राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी लागू करने के शब्दों का जिक्र होना चाहिये। क्योंकि अगर पंजाबी सूबा बन गया तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास दूसरा कोई आल्टर्नेटिव नहीं रहता। हरियाना ..

श्री अध्यक्ष—आप राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर बोलिये। क्या होगा और क्या नहीं होगा, इस पर नहीं।

श्री भैंरूसिंह—यह इसी में आता है।

श्री अध्यक्ष—Every thing comes under this. जब से हिन्दुस्थान का इतिहास शुरू होता है ..

श्री भैंरूसिंह—इसका तो राजस्थान से सम्बन्ध है।

श्री अध्यक्ष—राजस्थान का सारे भारतवर्ष से सम्बन्ध है। ये जो सिफारिशें हैं उनके बारे में आपको जो कुछ कहना है कहिये। दूसरे प्रांतों की हिस्ट्री कहेंगे तो इसका कोई अन्त नहीं होगा। The Hon'ble Member will be just relevant to the scope of the discussion of the relosution and if he goes beyond it he will be curtailing his own time and shall have to ask him to close for him.

श्री भैंरूसिंह—मेरा यह निवेदन है कि इस प्रस्ताव में यह थोड़ा जोड़ दिया जावे कि आयोग की सिफारिशों को तुरन्त लागू किया जावे। यह संशोधन इसमें किया जावे।

श्री अध्यक्ष—This is a very innocent suggestion for which the Hon'ble Member is tracing the whole history.

श्री भैंरूसिंह—इन्नोसेंट नहीं है। अक्टूबर के महीने से वे भारत सरकार से मांग कर रहे हैं। उनकी मांग से इस प्रकार का खतरा बढ़ रहा है कि कहीं पंजाब को हरियाना प्रांत...

श्री अध्यक्ष—Unnecessarily afraid of it.

श्री भैंरूसिंह—यह तो हो ही रहा है साहब। हमारे प्रांत में जातीयता का विषैला प्रचार बढ़ रहा है। राजस्थान में आज हरियाना प्रान्त की मांग को लेकर किस प्रकार की सत्ता के आधार

[श्री भैंरूसिंह]

पर कार्यवाहियें चल रही हैं, वे सब लोग जानते हैं। लेकिन जानबूझ कर वे चुप हैं। लेकिन मेरे लिये चुप रहना ठीक नहीं होगा। सत्तारूढ़ अधिकारी इस बात को छुपा सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष, कल जिस तरह से भरतपुर और धौलपुर को आगरा में मिलाने की सदन के कुछ सदस्यों ने मांग की थी उसके उत्तर में यह बताया गया कि राज्य पुनर्गठन रिपोर्ट में इस बारे में कोई जिक्र नहीं है कि आगरा प्रांत बनेगा। इस बारे में मेरा भी एक छोटासा सुझाव है जिसके बारे में भी चर्चा हुई थी। राजस्थान से आगरा जाते समय एक ऐसा हिस्सा आता है जिसको खेरगढ़ तहसील के नाम से कहा जाता है; उसको राजस्थान में मिलाने के लिये राजस्थान सरकार की ओर से सिफारिश की गई थी। उसके बारे में न तो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट में जिक्र है और न जब चीफ मिनिस्टरों की कॉन्फ्रेन्स हुई तब इसका जिक्र किया कि कौन कौन से इलाके दिये गये हैं।

मै तो समझता हूँ कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ने इस प्रकार के कोर्नर को छोड़ कर, मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस बात को न उठा कर और अपने प्रस्ताव में भी इस बात का अभाव दिखा कर, जो कुछ राजस्थान सरकार की ओर से स्मृति-पत्र पेश किया गया था और जो मांग की गई थी उसे भूलकर वह उचित नहीं किया है। वह मांग उचित थी। यदि उस कौने को दूर हटा दे जिसकी कि राजस्थान के अन्दर एक लाइन सी चली गई है और जो कि राजस्थान का एक अंग होना चाहिये तो अच्छा होगा। मैं दुबारा फिर मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करुंगा कि उस तहसील को वापिस राजस्थान में मिलाने सम्बन्धी अपने प्रस्ताव में उसका जिक्र कर दें।

तीसरा, अध्यक्ष महोदय, राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो सिफारिशें की है उनमें से कुछ को स्वीकार किया गया है और कुछ के लिये वह उल्लेख किया गया कि उन सिफारिशों पर विचार करने की आवश्यकता है। हमें यह देखना पड़ेगा कि जिन सिफारिशों को हमने पूर्णतया स्वीकार किया है उनमें और अब जो विचार करने के लिये रखे हैं, कितना अन्तर है। यदि अन्तर की दृष्टि से देखें तो लोक सेवा आयोग की नियुक्ति के संबंध में राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की है कि उनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिये। यह उचित है। लोक सेवा आयोग की राजनैतिक दृष्टि से नियुक्ति नहीं की जा सकती। किसी राजनैतिक संस्था के सदस्य, मैं नहीं कहता कि लोक सेवा आयोग के सदस्य नहीं बन सकते, लेकिन उसके लिये जनता में विश्वास पैदा करना पड़ेगा और भावना पैदा करनी पड़ेगी कि लोक सेवा आयोग निष्पक्ष है और जो उनकी नियुक्ति के बारे में अधिकार हैं वे सब राष्ट्रपति को समर्पित हैं। यह राजस्थान सरकार को सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिये और आज-कल जो एक अफवाह हो गई है कि राजस्थान के एक मंत्री लोक सेवा आयोग में नियुक्त होने वाले हैं वह निराधार हो जायगी।

(घंटी)

[श्री भैंरूसिंह]

श्री अध्यक्ष—No use introducing foreign matters into a debate which does not warrant it. Unnecessarily the Hon'ble Member is raising a controversial point. Order please ! Come to order.

श्री भैंरूसिंह—मैं निवेदन कर दूं ।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—Then the Hon'ble member must be relevant.

श्री भैंरूसिंह—यह नहीं कहूँगा ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—यह नहीं कहेंगे तो कुछ और कहेंगे ऐसी इर्रिलेवेन्ट बातें ?

श्री भैंरूसिंह—तो अध्यक्ष महोदय, राज्य पुनर्गठन आयोग ने जितनी सिफारिशें की हैं उनके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग को हमें धन्यवाद देना चाहिये ।

अजमेर और आबू के लिये जो सिफारिशें की गई हैं वे उचित हैं । राज्य पुनर्गठन आयोग ने राजप्रमुख पद को समाप्त करने के लिए जो सिफारिश की है उसके लिये राजस्थान की जनता ही नहीं, जितनी भी 'बी' स्टेट्स हैं उनकी ओर से वे धन्यवाद के पात्र हैं । अतः मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जिन चीजों का उनके प्रस्ताव में अभाव है उसमें उनको शामिल करके उस प्रस्ताव को पास किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—Yes, reply.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट पर वाद-विवाद चल रहा है । उस पर अलग अलग तौर पर विचार जाहिर किये गये हैं । कुछ माननीय सदस्यों ने, ज्यादातर मन्दसौर के बारे में, काफी जोर दिया था कि मन्दसौर राजस्थान के अन्दर मिलाया जाना चाहिए । उसके पीछे ऐतिहासिक कारणों का हवाला दिया गया, राजस्थान से उसकी संस्कृति मिली-जुली है, इन चीजों का भी हवाला दिया गया । मैं समझता हूँ कि जो प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत किया गया है उसके पीछे मूल बात यही थी कि जो सीमा आयोग ने प्रस्ताव किये हैं वे प्रस्ताव राजस्थान राजस्थान की दृष्टि से स्वागत योग्य हैं । मन्दसौर को देखते हुए यह प्रश्न मन्दसौर के निवासियों के लिए ज्यादा विचार करने का हो सकता है, बजाय इसके कि हम इस बात के लिए यह कहें कि वह हिस्सा हमारे राजस्थान में मिला देना चाहिए और फिर एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कहा कि शरणार्थियों का प्रश्न है, अजमेर आ जायगा, उसके घाटे की पूर्ति करने के लिए मन्दसौर हमारे राजस्थान में मिला देना चाहिये; तो यह आधार कतई गलत है । किसी को यहां इसलिए मिला देना कि शरणार्थियों को बसा देना चाहते हैं या जो आमद हो उससे

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

हमारे घाटे की हमें पूर्ति करनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि यह उचित दृष्टिकोण नहीं है। इस मामले में यह बात सही है कि मन्दसौर का बहुत सा हिस्सा राजस्थान से बहुत निकट पड़ता है, लेकिन फिर भी इस सारे प्रश्न पर ज्यादा विचार करने का, निर्णय करने का हो सकता है तो वह मन्दसौर के निवासियों का ही हो सकता है और अगर वहां के निवासी और मध्य प्रदेश, जो नया बन रहा है, वहां के लोग-बाग मिल कर इस बात का निर्णय करते हैं कि राजस्थान के साथ मिलना चाहिए, तो वह चीज तो आगे भी संभव हो सकती है। उसके लिये स्टेजेज़ बाकी हैं। अभी हम निर्णय करेंगे, पार्लियामेन्ट विचार करेगी। इसके बाद गवर्नमेण्ट ऑफ इन्डिया निर्णय करेगी और फिर पार्लियामेन्ट में बिल के रूप में ये सारी बातें आयेंगी। तो कुछ स्टेजेज ऐसी हैं, वहां की जनता यदि ऐसा चाहती है तो यह हो सकता है। मैं नहीं जानता कि वहां की जनता सारे मन्दसौर जिले के विषय में क्या सोचती होगी और क्या नहीं। जैसा मैंने निवेदन किया था कि ये छोटी-मोटी बातें हैं जो बाद में भी हो सकती हैं उनका निर्णय बाद में भी हो सकता है और उनके फैसले की बात आ सकती है। मन्दसौर के बारे में अभी इस प्रस्ताव में जिक्र करने की बात नहीं आती क्योंकि इस प्रस्ताव में तो यह है कि जो कुछ निर्णय किया गया है उसको अच्छी स्प्रिट में लें और जो वह निर्णय है वह स्वागत करने योग्य है। यह माना जा सकता है कि राजस्थान इस मामले में सौभाग्यशाली रहा है और उन निर्णयों के स्वागत के बीच में किसी प्रकार का क्षेपक रखें, तो वह हमें नहीं करना चाहिए।

जो वास्तविकता है वह स्वीकार की जानी चाहिये और इसके अन्दर मैं समझता हूँ कि ठीक बात होगी बजाय इसके कि इसके अन्दर कुछ चीज जोड़ दें।

धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने खैराबाद तहसील के बारे में कहा कि राजस्थान में मिलनी चाहिये। हमने इसकी मांग की थी, लेकिन यू. पी. में यह हिस्सा है, वहां के लोग-बाग उसी प्रान्त में रहने की इच्छा रखते हैं। तो इसलिए कि चूंकि हमारी सड़क उस हिस्से में से निकलेगी इसलिये उस हिस्से को राजस्थान में मिला लिया जाय, यह चीज उचित नहीं होती। हां, यू. पी. की सरकार के सामने हम इस प्रश्न को रखें और आपसी बात-चीत से संभव होता हो ठीक बात है, परन्तु विधान सभा इसे प्रस्ताव के रूप में पास करे, यह उचित नहीं है। हां, हम इस बारे में यू. पी. की सरकार से बात-चीत करेंगे और आपसी बात-चीत करेंगे और आपसी बात-चीत से ऐसा किया जाना संभव हो सकता है तो करेंगे कि यह हिस्सा राजस्थान में आया हुआ है और राजस्थान और भरतपुर का सम्बन्ध जोड़ता है।

भरतपुर और धौलपुर की जनता की भावना के सम्बन्ध में एक माननीय सदस्य ने कहा कि वहां के लोग यू. पी. में मिलना चाहते हैं, साथ ही यह भी कहा कि पन्नीकर का इस पर नोट ऑफ डिसेंट था, उसका वे समर्थन करते हैं। पन्नीकर का नोट ऑफ डिसेंट है। वह व्यक्तिगत राय है जिस पर न अमल होगा और न कम से कम अभी अमल हो रहा है। तो उस पर हम चर्चा करें, यह उचित नहीं है। जब आगरा प्रान्त नहीं बनता है तो जिन माननीय सदस्य ने धौलपुर-भरतपुर

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

को यू. पी. में मिलाने की वहां के लोगों की भावना का जिक्र किया है, उन माननीय सदस्य की भी राय नहीं होगी कि भरतपुर-धौलपुर को यू. पी. में मिलाया जाय। यह मान कर मुझे चलना चाहिए।

१९५२ की बात है, शंकर राव देव की अध्यक्षता में एक कमेटी की स्थापना की गई थी। उस कमेटी ने धौलपुर और भरतपुर के लोगों की राय जान कर फैसला दिया था कि वहां की जनता राजस्थान में रहना चाहती है और इस रिपोर्ट में भी जाहिर किया गया है कि तब से अब तक जनता की राय में परिवर्तन नहीं हुआ है। यह कहा गया कि इस तरफ के हिस्से का हमेशा खयाल नहीं रखा जाता है। यमुना के पानी की चर्चा की गई। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात कहना उचित नहीं है। धौलपुर में पार्वती नदी का एक बहुत बड़ा बांध बन रहा है, भरतपुर में जमुना का पानी लाने का करीब करीब फैसला हो चुका है। पिछले पांच छः महिनों में हम यू. पी. के मन्त्रियों से बात चीत कर चुके हैं, मैं स्वयं बात चीत कर चुका हूं; हमारे इर्रिगेशन मिनिस्टर लखनऊ जाकर बात कर चुके हैं कि यमुना का पानी भरतपुर को दिया जाय। राजस्थान के प्रत्येक हिस्से का विकास हो, इसके लिये हम हमेशा तत्पर रहे हैं, प्रयत्नशील रहे है और आगे भी रहेंगे; यह मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं? जिन हिस्सों के लिये प्रयत्न किया जाना संभव नहीं, उनकी बात तो आती नहीं। राजस्थान के जो हिस्से है उनमें से कोई दूसरी जगह जाना चाहते है, ऐसा मेरे खयाल में, अध्यक्ष महोदय, नहीं है।

हरियाना प्रान्त की बात मेरे एक भाई कह गये। पर मैंने पहली बार सुना कि हरियाना प्रांत बनाया जाय। आज तक किसी ने इसका सपोर्ट नहीं किया है और न रिपोर्ट में ही इसका कहीं जिक्र है। इसलिये हरियाना प्रान्त बनाने की बात या तारासिंहजी से किसी की बात हुई है यह कोई माने नहीं रखता और इससे कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता कि अलग प्रान्त बनायें। यू. पी. का प्रान्त अलग नहीं हो रहा है। राजस्थान प्रान्त का निर्णय हो जाता है तो नया प्रान्त बनेगा कहां से, कौनसी बात आती है कि इसके लिये दलील पेश करें?

राजस्थान, जैसा हम चाहते थे वैसा का वैसा रहा, बल्कि कुछ हिस्से और इसमें बढ़ गये। एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह तुरन्त लागू हो जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, हम जो प्रस्ताव पास करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि तुरन्त लागू होना चाहिये। पर इसका अधिकार पार्लियामेन्ट को है और वह फैसला करेगी कि तुरन्त लागू कर देना चाहिये। लेकिन यह अब लागू होगा जरूर, उसमें शक शुबहे की बात नहीं रही है, खास तौर से राजस्थान के बारे में।

एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि अभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया उसमें राजस्थान के बारे में आबू का कोई जिक्र किया ही नहीं। यह लिखा है कि अजमेर राजस्थान का हिस्सा हो, पर आबू के लिये जिक्र नहीं किया है, इससे शक पैदा होता है। मैं उन माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि वहां जहां बम्बई प्रान्त का जिक्र किया है और जहां

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

गुजरात के लिये लिखा है; गुजरात प्रान्त वह है जो सौराष्ट्र, कच्छ और वर्तमान गुजरात प्रोविन्शियल कांग्रेस कमेटी के गुजराती भाषा भाषियों से बनना है। आबू में तो ६५ प्रतिशत राजस्थानी भाषा बोलने वाले है। "गुजराती पी. सी. सी" इसमें यह शब्द जुड़े हुए है "गुजराती भाषा भाषी गुजरात"; इससे यह स्पष्ट हो जाता है।

इस बहस के दौरान में बहुत सी चर्चाएं की गई। राजप्रमुख के इन्स्टीट्युशन को इसके द्वारा समाप्त करने के बारे में जो सिफारिश की गई है उसके बारे में कहा गया कि प्रस्ताव में इस पर जोर नही दिया गया, इसका जिक्र नहीं किया गया। तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि अपना अपना एक तरीका होता है बात कहने का, कुछ इसमें संतोष मानते है कि कुछ जोरों से शब्द कह कर बात कही जाय और हमने इसका जिक्र किया है। प्रस्ताव की आखिरी दो पंक्तियों में, जिनमें हमने कहा है, "भारतवर्ष में एक ही प्रकार का राज्य हो या टेरीटरीज हों, इसका समर्थन करते है" इस जिक्र का मतलब यह होता है कि यह राज्य ए. श्रेणी का राज्य बनता है तो इसका स्वाभाविक तौर से यह अर्थ निकलता है कि अ. श्रेणी के राज्य में राजप्रमुख की व्यवस्था नही है, राजप्रमुख की व्यवस्था समाप्त की गई, इसके लिये हर्ष प्रगट करना बहुत बड़ी बात नहीं। इससे बडी हर्ष की बात यह है कि हमारे राजस्थान का स्टेटस दूसरे प्रान्तों के स्टेटसं के बराबर में आता है, यह ज्यादा महत्व की बात है।

इस दृष्टि से अगर हम देखते है तो जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वे सब अपने आप आ जाती है, उनका समावेश इस प्रस्ताव के अन्दर हो जाता है। इस प्रस्ताव के अन्दर किसी खास चीज का जिक्र करने से कोई लाभ नहीं होगा, कारण यह कि माननीय सदस्यों को यह विदित है कि जब दिल्ली में मुख्य मंत्रियों की कॉन्फेन्स हुई थी उसमें इस बात को एक मत से स्वीकार किया गया था कि जो राजप्रमुख के सम्बन्ध में इस रिपोर्ट में सिफारिश है उसको हम स्वीकार करते है। इसके साथ साथ मैं यह भी बता दूं कि इसमें किसी प्रकार की शंका का सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी व्यक्ति विशेष के लिये यह ख्याल हो कि हम उसको नहीं चाहते, यह बात कतई नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस संबन्ध में मैं इतना कहना उचित समझूंगा किश्री मनू राजप्रमुख जो हैं उनका सहयोग हमें राजस्थान के शासन के अन्दर सदैव निष्पक्षता के साथ मिलता रहा है, उनकी ओर से किसी प्रकार का इन्टर्फियरेन्स (Interference) नहीं हुआ। किसी कारण से हम इस निर्णय पर पहुंचे हों, यह बात; नहीं। हम जिस प्रकार का ढांचा आज देश का बनाने जा रहे हैं और जो देश के विकास के लिये आवश्यक है उसी चीज को हमें स्वीकार करना आवश्यक है और वह उचित भी है। इसी खास दृष्टि से हमने इस चीज को स्वीकार किया है। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं कि जो कुछ भी माननीय सदस्यों ने कहा जैसा पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में और अन्य सेवाओं के एकीकरण के बारे में, हम इस पर आगे और विचार करना चाहते हैं। यह एक बड़ा सवाल है, जिस सवाल पर न केवल राजस्थान की, बल्कि इस सम्बन्ध में अन्य राज्यों की भी यही राय है; वे भी इनके बारे

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

में सोचना चाहते है । ऑल इन्डिया सर्विसेज़ में हमने आइ० ए० एस० और आइ० पी० एस० में अपने राज्य को शरीक किया । इसके शरीक होने से हम पर खर्चे का भार बढ़ा है । हम इन्जीनियरिंग, मेडीकल सर्विसेज़, फोरेस्ट सर्विसेज़ और दूसरी सर्विसेज़ में ऑल इन्डिया सर्विसेज़ के हिस्सेदार बनते हैं। तो उसकी वजह से क्या आर्थिक असर हमारे पर होने वाला है, कितना भार हम पर पड़ने वाला है, यह एक सोचने की बात है । जब हमने आइ० ए० एस० और आइ० पी० एस० को ऑल इन्डिया सर्विसेज़ में मान लिया है तो हमें दूसरी सर्विसेज़ और दूसरों के वेतनों के सम्बन्ध में विचार करना आवश्यक हो जाता है। जब सारी सर्विसेज़ को ऑल इन्डिया बेसिस पर करने जा रहे हैं तो हमें इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना आवश्यक है। इसी दृष्टि से हम इन बातों पर सोचना और विचार करना चाहते है, बजाय तुरन्त निर्णय करने के।

जहां तक पब्लिक सर्विस कमीशन की निष्पक्षता की बात है उसके लिये मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज भी जो पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर्स हैं उनको पूर्ण स्वतन्त्रता है, स्वतन्त्रता इस बात पर निर्भर करती है कि जिनको नियुक्त किया जाय उनकी नियुक्ति के बाद उनको हटाने के बारे में उन पर कार्यवाही करने के लिये कौन व्यक्ति अधिकार रखता है। आज भी जो पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर्स होते हैं उनको हटाने का अधिकार राजस्थान सरकार को नहीं हैं। उनकी सर्विसेज निश्चित समय के लिये गारन्टीड होती हैं। इसी प्रकार हाई कोर्ट के जजेज़ और दूसरे, अकाउन्टेन्ट जनरल की सर्विसेज़ होती हैं, ये इस प्रकार की सर्विसेज़ हैं जो निष्पक्षता के साथ कार्य कर सकती हैं। आज भी अपने राज्य या अन्य राज्यों में जहां दो राज्यों का एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन हैं उनके मेम्बर्स की नियुक्ति प्रेसीडेन्ट द्वारा ही होती है और जहां पर एक ही राज्य के लिये एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन है वहां, वह राज्य सरकार के अधिकार की बात है। फिर भी हमने यह कहा है कि हम इस प्रश्न पर विचार करना चाहते हैं। जब हम यह कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि जब अखिल भारतीय दृष्टिकोण से इस पर विचार हो रहा है तो हम उससे अलग रहेंगे, यह बात नहीं है। सब साथ बैठ कर इस प्रश्न का सब पहलुओं पर विचार किया और विचार करने के बाद निर्णय पर हम पहुँचें, इसी दृष्टि से यह बात कही गई है। मैं समझता हूँ कि कोई विशेष परिस्थिति हम इस सम्बन्ध में पैदा करने जा रहे हैं, ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं आती।

एक चीज़ यह भी कही गई कि अजमेर के मिलने से जहां हम इस बात को कहते हैं कि वहां की सर्विसेज़ को जो वेतन मिलता है उसके अन्दर कमी नहीं होगी, उसके बजाय हम यह कहें कि अजमेर के स्तर पर राजस्थान का वेतन ले आयेंगे। कम से कम नीचे की श्रेणी के कार्य करने वालों का तो वेतन ले ही आयेंगे। यह बात उसी प्रकार की है; जैसी कि ऑल इण्डिया सर्विसेज की। हम इनमें शरीक होने से पूर्व अपने आर्थिक कारणों पर विचार करना चाहते हैं। यहां पर मैं यह कह दूं कि अजमेर में जो वेतन वहां के कर्मचारियों को मिल रहा है वह वेतन-स्तर सेन्ट्रल गवर्नमेंट का वेतन स्तर है। आज भारतवर्ष का कोई भी राज्य ऐसा नहीं जहां सेन्टर के

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

वेतन स्तर लागू हों, कोई भी उतनी तनख्वाह नहीं देता। राजस्थान के लिए यह कह देना और यहां कमिटमेन्ट कर देना कि हम उस स्तर पर ले आयेंगे, वह ऐसी बात होगी जो राजस्थान की अर्थ-व्यवस्था को डांवाडोल करने वाली हो। अजमेर ७ लाख आबादी का प्रान्त है और राजस्थान डेढ़ करोड़ की आबादी का प्रान्त है। यहां काफी तादाद में कर्मचारी है। उनके वेतन की वृद्धि से यहां की आर्थिक स्थिति पर कितना असर पड़ेगा, यह सोचने की बात है। यह संभव नहीं कि हम अजमेर के स्तर पर यहां के वेतन ला सकें। कम से कम निकट भविष्य में यह आशा नहीं की जा सकती है। यह हम निश्चित चाहते हैं कि जिन लोगों को कम वेतन मिलता है उन कर्मचारियों की वेतन-वृद्धि हो। हम इस पर विचार कर रहे है और मुझे आशा है कि हम जल्दी ही कुछ निर्णय पर पहुँचेगे। यहाँ यह कह देना मुश्किल है कि हम यहां के वेतन-स्तर को दूसरे राज्यों के बराबर ले आयेंगे। जब इस सम्बन्ध में निर्णय होगा तब हम इस स्थिति में होंगे, तभी हम इस पर ज्यादा विचार कर सकेंगे।

एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि अजमेर के राजस्थान में आने से यहां के आर्थिक ढांचे पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि जिन माननीय सदस्यों ने रिपोर्ट को पढ़ा होगा उन्होंने इस रिपोर्ट का पैरा ८१८ देखा होगा, जिसके अन्दर इस बात का जिक्र किया गया है कि जब इस प्रकार के राज्यों का निर्माण होगा तब उन राज्यों पर आर्थिक असर हो सकता है। अगर घाटा होता है तो उस घाटे को किस प्रकार पूरा किया जाय इस बारे में भारत सरकार से विचार करके उन चीजों के मामलों में कार्यवाही करनी होगी। मैं यह आशा करता हूँ कि अजमेर के आने से जो घाटा होने वाला है वह भारत सरकार स्वयं जानती है। उसके आने से हमको जो घाटा होगा उसके बारे में हम भारत सरकार के समक्ष अपनी बात रखेंगे और आगे जो फाइनेन्स कमीशन आने वाला है उसके सामने भी हमारी आर्थिक स्थिति पर, इस इन्टीग्रेशन से क्या असर पड़ा; ये सब बातें रखेंगे। इससे मैं आशा करता हूँ कि जिस भार की हम कल्पना कर रहे हैं वह भार उतना रहने वाला नहीं है जितना ख्याल करके हम चलते हैं। इस व्यवस्था की कल्पना इस रिपोर्ट के अन्दर पहले से ही कर दी गई है।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ, जैसा कि एक दो माननीय सदस्यों ने कहा कि अजमेर के लोगों को अपने दिल में यह शंका हो रही है कि उनकी आगे क्या स्थिति होगी। सब से पहली बात तो यह है कि अजमेर का सब से बड़ा महत्व वहां रेलवे के कारखाने से है। इसी की वजह से वहां चहल-पहल और आर्थिक विकास है, न कि सात लाख की आबादी का हैडक्वार्टर होने की वजह से। इसलिये जैसा असर इस राज्य के बनने से पुरानी राजधानियों पर पड़ा वैसा असर राजस्थान में मिलने से अजमेर पर पड़ने वाला नहीं है क्योंकि रेलवे के विकास के लिये सभी तरफ से प्रयत्न हो रहे हैं, जो वहां पर होंगे। वहां सबसे बड़ा प्रश्न जो है वह है वहां के पीने के पानी की समस्या का हल करना। इस समस्या का किस प्रकार से जल्दी से जल्दी हल किया जाय इस ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा और अजमेर का विकास और स्वाभाविक विकास

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

इसी एक समस्या पर निर्भर करता है। मैं समझता हूँ कि इस पर राजस्थान सरकार आगे भी पूरी तौर से जोर लगा कर हल करेगी। उसी हल के साथ दूसरी चीजें भी अपने आप आगे बढ़ने वाली हैं। वहां पर क्या क्या विभाग कायम रहें, यह विषय ऐसे हैं जिनके विस्तार में इस समय नहीं जाया जा सकता। यह तो एक साथ बैठकर ही तय करने की चीजें हैं। मैं आशा करता हूँ कि अजमेर के लोग बजाय यह सोचने के कि वे किस प्रकार से राजस्थान से अलग रहें, वे इस बात को सोचें कि वहां किन किन विभागों के रहने से वहां की उन्नति हैं; कौन सी चीजों के अजमेर में होने से उसका महत्व कायम रह सकता है, इन चीजों पर आपसी वार्ता से ही निश्चित परिणाम पर पहुँचा जा सकता है।

वैसे अजमेर और वहां के नेताओं का सम्पर्क हम लोगों से काफी निकट का है। मैं आशा करता हूँ कि ये चीजें आसानी से संभव हो सकती हैं। यदि हम व्यवहारिक दृष्टिकोण से इन पहलुओं पर विचार करें तो किसी निर्णय पर पहुँचना मुश्किल बात नहीं।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि पहले मैं भी इस राय का था कि अजमेर राजधानी हो। इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ कि अच्छा होता कि ५ साल या ७ साल पहले यह निर्णय हो जाता, लेकिन जब वह निर्णय नहीं हुआ और एक बार यह फैसला हो गया कि जयपुर राजधानी होगी तो उसके बाद में जयपुर के अन्दर काफी विकास हुआ है, काफी यहां पर काम हुआ है। इसलिए राजधानी के बारे में, मैं समझता हूँ, इस सदन के और शायद अजमेर के लोगबाग जानते हैं, कि राजधानी का प्रश्न ऐसा नहीं रहा कि जिस पर इस प्रकार विचार किया जाय कि राजधानी हटा कर एक जगह से दूसरी जगह जा पाये। लेकिन दूसरे प्रश्न हो सकते हैं जिनके ऊपर हम आपस में विचार करके किसी निर्णय पर पहूँच सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि जो हिस्सा हमारे अन्दर मिलाया गया है चाहे वह लोहारू का हिस्सा हो, जिसके बारे में मुझसे किसी ने कहा है कि वहां वाले कहते हैं कि पंजाब में रहने से पानी जल्दी मिलेगा और राजस्थान में चले गये तो पानी की दिक्कत होगी। अध्यक्ष महोदय, आजकल पानी मिलने का प्रश्न, बिजली मिलने का प्रश्न, बड़ी २ योजनाएं अखिल भारत वर्षीय दृष्टि से देखी जाती हैं और उन पर उस दृष्टि से ही फैसले किये जाते हैं। कोई हिस्सा किसी हिस्से में मिलता है तो उसके अन्दर कोई दिक्कत आयेगी या और कोई बात पैदा होगी, इस बात का सोचना और कहना उचित नहीं लगता है। यह तो कुछ भी हो। जैसा कि कल मैंने कहा था कि जो अजमेर की द्वितीय पंचवर्षीय योजना स्वीकार की गई है, वह वहां ज्यों की त्यों लागू होगी। इसमें भी यह बात कही गई है कि ऐसे हिस्सों में स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड्स कायम किये जाय जो उन हिस्सों के लिए डेवलपमेंट पर विचार करके बराबर ध्यान रखें कि यह रुपया पूरे तौर से खर्च होकर उन हिस्सों के विकास में कोई रुकावट नहीं आये। तो मैं आशा करता हूँ कि जो प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है इस सदन के समक्ष, उसको उसी स्पिरिट में सब एकमत से स्वीकार करेंगे।

(करतल-ध्वनि)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संकल्प मुख्य मंत्री ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(करतल ध्वनि)

(स्वीकृत)

I voice the feelings of the House when I say that the Resolution is carried unanimously.

(करतल-ध्वनि)

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

भीम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वैधकरण विधेयक, १९५५ (विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री अध्यक्ष—श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—अध्यक्ष, महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भीम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वैधकरण विधेयक, १९५५ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। Yes, amendment to Clause 4 by the Minister in charge.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—Mr.-Speaker, after clouse 4, the following new clause may be inserted.

५ निरसन—भीम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वैधकरण अध्यादेश, १९५५, (संख्या १६, सन् १९५५) एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि भीम डिस्क्टि बोर्ड वेलीडेशन बिल, १९५५, को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४ पर जो संशोधन संबंधित मंत्री महोदय ने किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४ का संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक का क्लॉज ४, संशोधित रूप से, और क्लॉजेज २ और ३ जैसे हैं वैसे ही पास किये जांय।

(स्वीकृत)

क्लाज़ेज २, ३ और ४ (संशोधित रूप से) विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १ टाइटल और प्रिएम्बल विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, टाइटल प्रिऐम्बल विधेयक के अंग बने।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह विधेयक पारित किया जावे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस बिल को पास किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान प्रेमिसेज़ (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एन्ड एविक्शन) संशोधन विधेयक, १९५५

(विचार विमर्श एवं पारित)

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान प्रेमिसेज़ (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एन्ड ऐविक्शन) संशोधन विधेयक, १९५५, को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि उक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

बिल को विचारार्थ लिया जाता है।

श्री रामकिशोर व्यास—इसमें संशोधन है।

श्री अध्यक्ष—क्लॉज बाई क्लॉज ले लेते हैं। आपका क्लॉज ५ में है।

श्री रामकिशोर व्यास—आफ्टर क्लाज ३ है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज २ विधेयक का अंग बने।

(**स्वीकृत**)

क्लॉज २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(**विराम**)

खण्ड ३

(**विराम**)

प्रश्न यह है कि खंड ३ विधेयक का अंग बने।

(**स्वीकृत**)

खंड ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा जाय।

श्री रामकिशोर व्यास—मेरा संशोधन इस प्रकार है:—"निरसन-राजस्थान प्रेमिसेज (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट ऐन्ड एविक्शन) संशोधन अध्यादेश, १६५५, (संख्या १७, सन् १६५५) एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।"

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के बाद खंड ४ को उक्त बिल में जोड़ा जाय।

(**स्वीकृत**)

खंड ३ के बाद खंड ४ के जोड़े जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(**विराम**)

प्रश्न यह है कि खंड ४ विधेयक का अंग बने।

(**स्वीकृत**)

खंड ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, टाइटल व प्रीऐम्बल विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खंड १, टाइटल व प्रीएम्बल विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री रामकिशोर व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान प्रेमिजेज़ (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एन्ड एविक्शन) एमेन्डमेंट बिल, १९५५, को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को पारित किया गया।

राजस्थान सिनेमाज़ (रेगुलेशन) संशोधन विधेयक, १९५५।

(विचार विमर्श एवं पारित)

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री):—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान सिनेमाज़ (रेगुलेशन) संशोधन विधेयक, १९५५, को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि उक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ?

श्री रामकिशोर व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान सिनेमाज़ (रेगुलेशन) संशोधन विधेयक, १९५५, को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को पारित किया गया

राजस्थान विधान सभा (अधिकारी एवं सदस्य पारिश्रमिक) संशोधन विधेयक, १६५५

(विचार विमर्श एवं पारित)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत शासन मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (ओफीसर्स एण्ड मेम्बर्स इमोल्युमेंट्स) संशोधन विधेयक, १६५५ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया जाता है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि इस विधेयक को पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान लेजिस्लेटिव एसेम्बली (ओफीसर्स ऐण्ड मेम्बर्स इमोल्युमेंट्स) संशोधन विधेयक, १६५५ को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक को पास किया गया ।

राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, १९५४ अग्रेतर खण्डश; (विचार विमर्श)

Clause by clause consideration of the Rajasthan Land Revenue Bill. 1954.

I wish we should start when the things are complete. The arrears must be completed first and then the new things should be taken up. The Hon'ble Members are prepared for clauses 5, 8, 9 and 47.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—कौनसा क्लॉज है ?

श्री अध्यक्ष—Clouse 5.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज ५ के ऊपर काफी वाद विवाद पहले हो चुका था और मेरे ख्याल से जवाब भी दिया जा चुका है । सिर्फ इस पर

[श्री दामोदरलाल व्यास]

वोटिंग डेफर किया गया था क्योंकि कई माननीय सदस्यों की यह राय थी कि इस बोर्ड का कॉन्स्टी-ट्यूशन अमुक प्रकार का न होकर चेंज होना चाहिये। इस पर विचार करने के लिये समय लेने की गरज से वोटिंग डेफर किया गया था। अब मैं अर्ज करूंगा कि इस पर काफी विचार के बाद मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूं कि जिस प्रकार के क्लॉज इस बिल में रखे गये हैं वे उचित ही हैं और इसमें रद्दोबदल की आवश्यकता नहीं है। इसलिये क्लॉज ५ जैसा है वैसा ही पारित किया जाय। जो अमेंडमेंट्स इस पर पेश हुये हैं उन्हें मंजूर करने में मैं असमर्थ हूँ और मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य उन अमेंडमेंड्स को वापिस ले लेंगे।

माननीय सदस्यों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार की ऐसी नीति नहीं है कि रेवेन्यु बोर्ड के सदस्य अयोग्य हों या बार बार उनको बगैर वजह के तब्दील किया जाय, तब्दीली उसी वक्त हो जब कोई खास कारण हो जो उनकी योग्यता से सम्बन्ध रखता है। सरकार की यह नीति है कि रेवेन्यु बोर्ड के सदस्य काबिल हों, रेवेन्यु बोर्ड की योग्यता बढ़े और कोई खास वजह से किसी सदस्य को तब्दील करने का सरकार का विचार हो तो जिस किसी को रेवेन्यु बोर्ड का सदस्य बनाया जायगा वे योग्य होंगे। राजस्व मण्डल के सदस्य अपने घर का कार्य करने में इन्डिपेन्डेन्ट होगा और इसके कार्य में सरकार ने न आज तक दखल दिया है और न देगी।

श्री अध्यक्ष—क्लॉज ५ : इस पर श्री हरिकृष्ण व्यास का एक संशोधन था। माननीय सदस्य यहां आज उपस्थित नहीं हैं इसलिये मैं इस संशोधन को सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर देता हूँ। वह संशोधन यह है : "Provided that atleast one member of each bench of the Board shall be an officer of judicial service and experience"

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री हरिकृष्ण व्यास ने क्लॉज़ ५ पर रखा है वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

दूसरा संशोधन श्री भैरोंसिंहजी का है।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, इस संशोधन की प्रति मेरे पास इस समय नहीं है, वह पढ़ कर सुना दें तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष—वोट पर भी रख दूं ?

श्री दामोदर व्यास—माननीय अध्यक्ष; लास्ट टाइम जवाब हो चुके थे ।

श्री भैरोंसिंह—आपने भी जवाब नहीं दिया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, लास्ट टाइम जवाब हो चुके थे ।
and only voting had been deferred. I think I am correct.

श्री वेदपाल त्यागी—जवाब नहीं हुये थे ।

(अनौपचारिक चर्चा के पश्चात्)

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लाज ५ में मैंने जो अपने संशोधन प्रस्तुत किये थे उस समय माननीय राजस्व मंत्रीजी ने, जहां तक मुझे याद है यह उत्तर दिया था कि इस विषय में उत्तर देने का मुझे अवसर दिया जाय और उन्होंने अपना उत्तर आयन्दा देने का जिक्र किया था । मैं समझता हूँ कि मेरी याद बिलकुल सही है लेकिन माननीय राजस्व मंत्रीजी ने यह कह कर कि मैंने इसका उत्तर दे दिया और जिन सदस्यों ने अपने संशोधन पेश किये थे उन्होंने भी अपने उत्तर दे दिये; मुझे ऐसा भ्रम है कि उनको गलतफहमी है, मुझे अपने संशोधन के बारे में जिक्र करना पड़ेगा । माननीय अध्यक्ष, जिस समय सदन में राजस्व मण्डल के विषय में चर्चा हो रही थी उस वक्त सदन का वातावरण इस भांति का बना हुआ था कि राजस्व मण्डल को जितना शासन के अंकुश से बचाया जा सके उतना बचाया जाय और वह स्वतंत्रता से काम कर सके । इस तरह की उसे सुविधा दी जाय । जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस प्रकार का सुझाव रखा था कि इस प्रकार का एक संशोधन मैंने भी प्रस्तुत किया था कि राजस्व मंडल के जितने भी सदस्य होंगे उसके लिये सरकार को ऐक कमेटी नियुक्त करनी चाहिये जिसके अन्दर राजस्थान जन सेवा आयोग के अध्यक्ष, राजस्व मंडल के अध्यक्ष और चीफ जस्टिस हों और इनके द्वारा सरकार राजस्व बोर्ड की नियुक्ति करे । यदि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य का संशोधन स्वीकार हो जाता तो उससे मतलब हल हो सकता था लेकिन उस संशोधन को तो बिना उत्तर के ही माननीय राजस्व मंत्री ने गिरा दिया । मुझे दुबारा उसके लिये मांग करनी पड़ेगी कि राजस्व मन्त्री इसको मंजूर करे । सदन में जिस प्रकार का वातावरण उस समय था आज नहीं है । उस समय इस प्रश्न को डेफर किया गया था । वही वातावरण फिर से पैदा करना पड़ेगा । राजस्व मण्डल के निर्माण के बारे में बार बार मांग की जा रही है क्योंकि राजस्व के मामलों के लिये यही ऐक सर्वोच्च सत्ता है और उसको बिल्कुल स्वतन्त्र बनाया जावे ।

आज जिस समय मुख्य मंत्री राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट का उत्तर दे रहे थे उस समय उन्होंने हाई कोर्ट और लोकसेवा आयोग को स्वतन्त्र रूप से काम करने के बारे में आवश्यकता महसूस की और उसके बारे में जिक्र किया । मैं उस वक्त यह सोच रहा था कि हाई कोर्ट और लोक सेवा आयोग के साथ साथ राजस्व मंडल का जिक्र करेंगे, मगर नहीं किया गया । अगर करते तो

[श्री भैरोंसिंह]

ज़्यादा अच्छा था। मैं आशा लगाये बैठा था कि राजस्व मंडल को भी स्वतन्त्र रूप से काम करने की इजाजत दी जावेगी।

माननीय अध्यक्ष, जिस समय सदन के सदस्यों ने अनेक बार सरकार से इस प्रकार की मांग की थी कि आज के राजस्व मंडल के सदस्य अनिश्चित से काम कर रहे हैं और उनको हमेंशा यह भय रहता है कि आज वे यहां पर हैं और कल कहीं राजस्व मंडल के नीचे स्थान पर उनको बदल दिया जावेगा। उनको यह भय रहता है कि अगर उन्होंने सरकार की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला किया या सरकार को सुख पहुंचाने वालों की इच्छा के विपरीत कोई कार्य किया तो उनको कहीं बदल दिया जावेगा। आज राजस्थान में ही नहीं बल्कि दूसरी अनेक जगहों से भी इसी प्रकार की मांग की जा रही है कि राजस्व मंडल को स्वतन्त्र बनाया जावे क्योंकि राजस्व के मामलों के लिये यह ऐक ऊची सत्ता है; अतः इसके लिये एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि यह स्वतन्त्र हों। लेकिन खेद से कहना पड़ता है कि राजस्थान में इसका अभाव है और इस बात का निश्चय राजस्व मंत्री के उत्तर से होगा।

मैं चाहता हूँ कि हाई कोर्ट के मामलों की तरह राजस्व मंडल भी स्वतन्त्र हो और उनके दिमाग में इस प्रकार की अनिश्चितता न रहे। राजस्व मंडल को स्वतन्त्र बनावें क्योंकि यह राजस्व के मामलों में सबसे ऊंची सत्ता है और जिसका संपर्क राजस्थान की सारी जनता से होता है; इसलिए इसके निर्माण में, काम में, योग्यता को आधार बना कर यदि इस बोर्ड का निर्माण करेंगे तो ज्यादा उचित होगा: आज आप यह कह सकते हैं कि जिस तरह से हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति के हाथ होती है लेकिन राजस्व मंडल के लिये इसकी आवश्यकता नहीं। मैं समझता हूँ कि मानवता की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि हाई कोर्ट में जुडिशियल केसेज़ ही होते हैं; जो चोरी करता है, अन्यायी करता या जिनका जुडिसियरी से संबन्ध होता है वे ही लोग वहां जाते हैं लेकिन रेवेन्यू से सभी लोगों का सम्बन्ध रहता है। अतः मैं निवेदन करूंगा कि राजस्व मंडल को जुडिशियरी की तरह स्वतन्त्र रखा जावे और यदि इसको मंजूर नहीं करते हैं तो राजस्व मंडल को सरकार के हाथ में न रख कर सरकार द्वारा बनाई गई निम्न व्यक्तियों की कमेटी द्वारा इसका निर्माण किया जावे जिसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और वर्तमान राजस्व विभाग के अध्यक्ष हों।

(घंटी)

और इस कमेटी द्वारा बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति की जावे।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, आपका (श्री ज़वानसिंह का) एमेन्डमेंट।

श्री जवानसिंह—मैंने पहले ही अर्ज कर दिया था।

श्री भैंरूसिंह—मैं राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे इस पर पुनः विचार करके उत्तर दें, उसके बाद में.........

श्री अध्यक्ष—मैं दुबारा बोलने के लिये इजाजत नहीं दूंगा ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ५ पर श्री भैंरूसिंह का संशोधन जो इस प्रकार हैं :

"(i) In sub-clause (2) substitute the word 'six' for 'three'.

(ii) Sub-clause (5) : Delete sub-elause and substitute the following:-

'A Committee appointed by the Government consisting of the Chief Justice as its Chairman and the Chairman of the Public Service Commission and the Chairman of the Ravanue Board as its members, shall prescribe the qualifications of person who shall be eligible for appointment as Chairman or member of the Board :'

स्वीकार किया जाय ।

(मत दान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता

श्री भैंरूसिंह—हां पक्ष जीता ।

श्री अध्यक्ष—The multiplicity of the voices are counted and not the force. Is the Division desired ?

कुछ माननीय सदस्य—Yes, Sir.

श्री भैंरूसिंह—इस मामले में सब की बहस हुई है । डिविजन......

(विभाजन घन्टी के बज चुकने के पश्चात् भी जब माननीय सदस्य आते रहें)

श्री अध्यक्ष—We may keep the time for the Division Bell from three minutes to five minutes

प्रश्न यह है कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू बिल के क्लॉज ५ पर जो संशोधन श्री भैंरूसिंह जी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(मत दान के पश्चात्)

श्री हिम्मसिंह—हां कह रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—Leave it for me to decide

मैं समझता हूं, "ना पक्ष जीता"।

श्री हिम्मतसिंह—Let there be a division.

श्री वेदपाल—Ayes have it, sir.

श्री दामोदरलाल व्यास—Noes have it, sir

श्री अध्यक्ष—Counting desired?

कुछ माननीय सदस्य—Yes Sir.

श्री भैंरूसिंह—उनमें से कई बाहर हैं।

श्री अध्यक्ष—Division may be by counting.

श्री संतोषसिंह कछवाहा—नहीं साहब, लोबी में गये बहुत दिन हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष—This is my discretion. It should not be interfered.

(विराम)

The amendment is lost

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज पांच विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ५ विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ८, पर संशोधन है।

श्री चांदमल मेहता—मैं मेरे संशोधन को वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं

श्री अध्यक्ष—दूसरा है, श्री भैंरूसिंहजी का।

श्री भैंरूसिंह—राजस्व मंत्री का इस पर जवाब नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष—आप वापिस ले रहे हैं?

श्री भैंरूसिंह—नहीं, वापिस नहीं लूंगा साहब।

Page No.33

श्री अध्यक्ष—Reply. Tenures of Members.

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ८ पर जो संशोधन श्री भैरूंसिंहजी का है उसको स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूँ। इससे एक गलतफ़मी उनके खयाल में ऐसी पैदा हो गई है तो "At the pleasure of Rajpramukh" रखने से कि गवर्नमेंट सर्विसेज़ को अलग कर सकती है जब कि वास्तव में ऐसी बात नहीं है। "At the pleasure of Rajpramukh" रखने से केवला मतलब यही है कि सर्विसेज़ के जो नियम हैं, रूल्स हैं उनके अन्तर्गत एक्शन उनके खिलाफ लिय जा सकता है। वैसे ये सब उच्च पदाधिकारी राजप्रमुख के प्लेज़र पर तो हैं ही।

श्री भैरूंसिंह—संशोधन देख कर जवाब दीजियेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास—हां, अभी देता हूँ।

(विराम)

Part 1. "(a) Substitute the words 'during the pleasure of the Rajpramukh' by the words 'till retirement'."

मैं समझता हूं कि इसको रखना जरूरी है और यह रहना चाहिए। इस संशोधन को मंजूर करने में मैं असमर्थ हूं।

पार्ट २ यह है कि "(b) Add the following new sub-clause:—

"(2) No member of the Board of Revenue shall be appointed in any Government Service after retirement.".

श्री हरिकृष्ण व्यास—तैयार होकर नहीं आये हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—मेरे ख्याल से यह संशोधन मानने योग्य नहीं है और इस वक्त उपयुक्त नहीं होगा जवाब देना भी क्योंकि यह बेमाने है। किसी को अपोइन्ट नहीं करना है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सदस्य आई. ए. एस. केटेगरी के हैं। उनकी केटेगरी मुकर्रर है, इसलिये यह संशोधन मंजूर करने लायक नहीं है।

श्री वेदपाल त्यागी—आर. ए. एस. के भी हैं।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैंने इस क्लॉज में अपने दो संशोधन प्रस्तुत किये थे। दोनों संशोधनों के विषय में इस सदन में जिस समय इस क्लॉज़ पर चर्चा हो रही थी काफी लोगों ने प्रकाश डाला था लेकिन उस प्रकाश के विषय में आज ऐसा लगता है कि शायद माननीय राजस्व मंत्री जी के पास उसका अंधेरा सा दिखता है। या तो उनकी याददाश्त

Page No.34

[श्री भैरूंसिंह]

कमजोर हो गई है और यदि याददाश्त ठीक है तो वे तैयार होकर नहीं आये हैं । इस विषय पर सदन के दस–बारह सदस्यों ने वाद–विवाद में भाग लिया था और उनमें भी केवल विरोधी दल के ही नहीं, बल्कि सत्तारुढ़ दल के कई प्रभावशाली सदस्यों ने भाग लिया था जिनमें से एक सदस्य का आज ईश्वर की कृपा से अभाव है और जिनकी उपस्थिति आज भी काफी महसूस होती है, उनकी ओर से भी इसमें कुछ संशोधन और होकर इसको स्वीकार कर लिया जाय, ऐसी मांग थी । जब अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री की ओर से यह उत्तर सुनने को मिलता है कि यह आवश्यक नहीं है तो यह उचित चीज़ नहीं होगी । राजस्थान के राजस्व मंत्री सदन के माननीय सदस्य जो विचारधारा सदन में प्रस्तुत करें उसके लिए केवल दो शब्दों में कहें कि इस प्रकार की विचार–धारा सही नहीं और इसको स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूँ, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की संसदीय परम्परा अगर राजस्थान विधान सभा में चली तो वह उचित नहीं होगी ।

मैंने दो संशोधन प्रस्तुत किये थे जो उनकी राय में उचित नहीं हो सकते किन्तु जनता उनके औचित्य को महसूस करती है । पहला भाग है रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य during the pleasure of the Rajpramukh वैसा जो उल्लेख है उसके बजाय "till retirement' should be substituted."

यानि राजस्व मंडल के सदस्य बनाते हैं तो वे उस समय हटाये जा सकते हैं कि वे रिटायर हों और जितने सर्विसेज़ के रूल्स हैं उनके कारण यदि उनको हटना पड़े तो उसके लिए मेरा ऐसा अनुरोध नहीं है कि वे नहीं हटाये जांय । स्वर्गीय श्री कपिलदेव जी ने भी यह कहा था कि ऐसा संशोधन होना आवश्यक है । लेकिन साधारणतया रूल्स के कारण राजस्व मंडल के सदस्य अयोग्य हैं तो उनको हटाना पड़ेगा लेकिन टिल रिटायरमेन्ट रख देने से ही यह चीज़ पूरी नहीं होगी । इसलिए इस भावना का समावेश करने के पश्चात् मेरा संशोधन है कि इस प्रकार का एक तरीका सहयोग का अपनाया जा सकता है । 'टिल रिटायरमेन्ट' लगा देने से केवल एक ही भावना होगी कि रिटायर होंगे तब ही हटाये जा सकते हैं, लेकिन यदि सर्विस रूल्स में कोई डिस्क्वालिफिकेशन आती है तो हटाये जा सकते हैं, जो रिटायर होते हैं तो वे हटाये ही जाते हैं । इससे स्वतन्त्र होकर वे लोग अच्छा काम कर सकें ।

दूसरा मेरा संशोधन है कि राजस्व मंडल के सदस्यों को राज्य सेवा में नहीं लिया जाय । इसमें दो दलीलें हैं । वे भी पहले रखी थीं । उनके लिये उत्तर यह मिला कि वे बेकार हैं । अगर हम राजस्व मंडल के सदस्यों को लालच में फंसाते हैं, एक प्रलोभन देते हैं तो उसका कारण यह होता है कि राजस्व मंडल के सदस्य उससे अलग होने के पश्चात् भी सरकार के सामने मांग करें कि उनको पुनः राज्य सेवाओं में ले लिया जाय । किन्तु, वे उन पर आश्रित नहीं रह सकें इसलिए मैंने इस संशोधन की आवश्यकता को महसूस करते हुए वह संशोधन प्रस्तुत किया था ।

राजस्व मंडल के सदस्य उनके सेवा काल से निवृत्ति के पश्चात् उनको यह प्रलोभन न हो कि उनको फिर से किसी राजकीय सेवा में ले लिया जायगा । यह प्रलोभन उनको कतई नहीं होना

Page No.35

[श्री भैंरूसिंह]

चाहिये। यह होने से यह होता है कि वे अपनी राय आजादी से व्यक्त नहीं कर सकते, उनको हमेशा सरकार के अधिकारियों को खुश रखने की प्रवृत्ति हो जाती है, इससे वे अपनी राय आजादी से व्यक्त नहीं कर सकते। जहां हम राजस्व मंडल को एक स्वतन्त्र संस्था के रूप में रख रहे हैं वहां यह आवश्यक है कि मैंने जो संशोधन रखा है उसे राजस्व मंत्री स्वीकार करेंगे तो ज्यादा उचित होगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लाज़ ८ में जो संशोधन श्री चान्दमल मेहता ने रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(**स्वीकृत**)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चान्दमल मेहता—मैं अपने संशोधन को वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८ में जो संशोधन श्री भैंरूसिंह जी ने रखे हैं वे स्वीकार किये जांय।

(**अस्वीकृत**)

क्लाज़ ८ में श्री भैंरूसिंहजी के संशोधन गिर गये।

(**विराम**)

प्रश्न यह है कि क्लाज़ ८ विधेयक का अंग बने।

(**स्वीकृत**)

क्लाज़ ८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा जाय।

(**विराम**)

क्लाज़ ९

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, इस क्लाज़ में चांदमल जी मेहता ने जो संशोधन रखा है उसको मैं स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—For the information of the House I read it out. "Delete the clause." प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लाज़ ९ में श्री चान्दमल मेहता ने इस क्लाज़ को डिलीट करने हेतु रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

[श्री अध्यक्ष]

क्लाज़ ६ में श्री मेहता का संशोधन स्वीकार किया गया। परिणाम स्वरूप यह क्लाज़ विधेयक से हटाया गया।

(विराम)

Then we come to clouse 47

"Penalty for neglect or bisobedience of an order given by Lambardar— " इस क्लाँज़ पर तीन संशोधन थे; श्री हरिकृष्ण व्यास, श्री हिम्मतसिंह और श्री कपिलदेव के।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, इस क्लाज को आज डेफर कर दिया जाय because it is quite an important clause - whether we should give the Tehsildar power to punish for the dis-obedience of an order given by a Lambardar. I, therefore, request that this clause be deferred.

श्री अध्यक्ष—I have no objection l ut then......

श्री दामोदरलाल व्यास—Only this clause. All others have been passed. And we proceed with clause 48 now.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्रीजी की तरफ से उत्तर केवल इतना हुआ था कि श्री कपिलदेवजी ने जो संशोधन रखा था उसमें एक ऑपरेटिव धारा क्वॉट कर दी गई थी उसे स्वीकार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—But now he wants that the clause be deferred. So we can have it tomorrow and I take it that the hon'ble Minister will take all these members into confidence and come to a decision.

श्री दामोदरलाल व्यास—Yes, sir, I will try to contact all of them.

श्री अध्यक्षः—48. Amendments ware moved by Shri H. K. Vyas and supported by Shri Bhaironsingh. Another amendment was moved by Shri Shyamlal Goel. Kunwar Shri Jaswantsingh and Shambhusingh had spokon on the cleuse. Further discussion, if desired; all those Hon'ble Members who want to speak on clause 48 may do so.

(कुछ विराम के तदनन्तर)

Page No.37

श्री दामोदरलाल व्यास—No body wants to speak. Shall I give a reply ?

श्री अध्यक्ष—Yes.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ पर जो माननीय सदस्य ने अमेन्डमेन्ट रखा है वे इस क्लाज को डिलीट करवाना चाहते हैं। मैं इस अमेन्डमेन्ट का विरोध करता हूँ। मेरा अर्ज करना यह है कि आज का जो ग्रामीण जीवन है उसके अन्दर विलेज-वाचमेन, विलेज बलाई और विलेज सरवेन्ट्स को रोजमर्रा गांव वालों को आवश्यकता पड़ती है। यह कोई नया इन्स्टीट्यूशन नहीं जो हम करने जा रहे हैं; यह संस्था पुराने जमाने से चली आ रही है, हम तो केवल इसको कानूनी रूप दे रहे हैं। इनको सरविसेज़ ग्राम वालों को बहुत फायदेमन्द है। मैं समझता हूँ माननीय सदस्य भी इस बात को मन्जूर करेंगे कि गांव के अन्दर चौकीदार का रहना बहुत आवश्यक है। यह हमेशा से देखने में आया है कि गांव-बलाई का काम करने के लिये कोई न कोई मुकर्रर होता है और गांव वालों को किसी न किसी रूप में उसको कुछ न कुछ कम्पेन्सेट करना ही पड़ता है चाहे वह नकदी के रूप में हो, चाहे धान के रूप में हो। वक्त पर इनकी बहुत आवश्यकता पड़ती है, वे एक ऐसे जरूरी ग्राम सेवक है जिनके बगैर गांव वालों को बहुत असुविधा हो सकती है। इसलिये जैसा कि श्री हरिकृष्ण व्यास ने कहा, यह ब्रिटिशर्स की लिगेसी है और वे इनका प्रयोग सी० आई० डी० के रूप में करते थे। दर असल बात यह नहीं है। गांव की चौकीदारी करने के लिए, उनके माल की हिफाजत रखने के लिये चौकीदारों का इन्स्टीट्यूशन जो बहुत दिनों से चला आ रहा है उसको आज की परिस्थिति में भी हम आवश्यक समझते हैं। गांव में किसी प्रकार की चोरी हो जाती है; खेतों की बाड में कोई घुस जाता है तो इस प्रकार को देखरेख रखने के लिये चौकीदार का होना निहायत जरूरी है, यह बहुत आवश्यक सर्विसेज़ हैं गांव वालों के लिये। इसलिये इसको रखना जरूरी है। यह पुराने समय से चली आ रही है, हम केवल इसको कानूनी रूप देना चाहते हैं। इसलिये इस क्लॉज़ को ऐसा का ऐसा रखा जाय, यही स्वीकार करने योग्य है। संशोधन को मैं अस्वीकार करता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय .....

श्री दामोदरलाल व्यास—There was an amendment of Shri Shyam Lal Goel, which I think I accepted it.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Are you sure ?

श्री दामोदरलाल व्यास—That is why I said " I think ". Human memory is fallible and I do not claim that I correctly remember, but that is my idea.

There was an amendment about "village or group of villages". If it has not been accepted, I accept it.

श्री अध्यक्ष—Let it come to vote.

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, जिस खण्ड पर बहस अभी चल रही है और जिस सिलसिले में राजस्व मंत्री महोदय ने ३-४ महीने सोचने के बाद यह नतीजा निकाला कि खण्ड पहले जैसा था उसी रूप में उसको रखना अति आवश्यक है। उसके बारे में कुछ गलत फहमी के शिकार या तो वे हो गये हैं या याददाश्त की कुछ कुछ परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। प्रश्न यह है कि गांव के चोकीदार अथवा गांव के बलाई की नियुक्ति के प्रश्न को कैसे हल किया जाय। प्रश्न यह नहीं है कि इस प्रकार के कार्य के करने का इन्तजाम कैसे किया जाय या न किया जाय। प्रश्न यह है कि इन्तजाम कैसे किया जाय और मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत करते समय, अध्यक्ष महोदय, इस बात पर जोर दिया था कि गांव बलाई का जो कार्य है सूचना देने का विशेषकर कोई सरकारी मुलाजिम आये तो उसके कहने से गांव वालों को इकट्ठा करने का इस प्रकार कार्य होता है तो रोज रोज पंचायतों को अपने आपको करना पड़ता है और करना पड़ेगा, और यही बात नहीं है कि पंचायतों को सूचना देने का अथवा सूचना मिलने के बाद सम्मन जारी करने का उन सब चीजों के लिए व्यवस्था उन्हें करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में गांव बलाई का और क्या कार्य होगा इसके बारे में यदि वह कुछ प्रकाश डालते, यदि वह यह बताते कि पंचायतों के द्वारा इन्तजाम किये हुए इस हल्के के बाहर और भी कुछ कार्य ऐसे होंगे जिनके लिए विलेज बलाई या गांव बलाई के नाम से विलेज सरवेन्ट की आवश्यकता होती, तो कुछ बात होती। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। न सिर्फ एक विलेज सरवेन्ट के बारे में कुछ विशेष सफाई नहीं दी, लेकिन चौकीदार का उन्होंने उल्लेख किया और मैंने जो उस दिन दलील दी उसका हवाला देते हुए उसका खंडन किया कि यह ब्रिटिश साम्राज्य-वाद की चलाई हुई परम्परा से कोई आगे ले जाने वाली चीज नहीं है। मैं समझता हूं कि जिसे सप्रेशियो वेराई या सजेशियो फालसाई की फेलेसी कही जाती है; इस प्रकार फेलेसी करने जानबूझकर या अनजाने में प्रयत्न किया जा रहा है। यह बात सही है कि जो चाहे चौकीदार हो या गांव बलाई हो इस प्रकार की इन्स्टीट्यु-शन्स हैं वे हिन्दुस्तान में सेल्फ सफिशियेंट विलेज की इन्स्टीट्युशन हैं, यह बात सही है कि इस प्रकार के कार्यों का सारा गांव बोझ उठाता था यह शुरुआत में डिवीजन ऑफ वर्क था।

That was the primary division of work आगे उसके बाद हमारे चाहने या नहीं चाहने के बावजूद भी उस समाजव्यवस्था का कुछ कारणों से अंत हो गया। उस बारटर सिस्टम के एवज में मनी सिस्टम का प्रचलन हो गया, और विलेज इकोनोमी का ह्रास हो गया। आज देश के किसी कोने में विलेज इकोनोमी, विलेज सेल्फ सफीशियेन्सी, विलेज कम्यून; इस प्रकार की प्रणाली मौजूद नहीं है और न सिर्फ मौजूद करने के बारे में आज तत्काल रूप से कुछ कल्पना की जा सकती है और यह कार्य वर्तमान में नहीं, निकट भूत में नहीं लेकिन लगभग अंग्रेजी शासन की शुरूआत के जमाने में से ही हो चुका। उसके बाद का मैं जिक्र कर रहा था। उसके बाद अंग्रेजों ने इन इन्स्टी-ट्यूशन्स को सीज़ किया और डिस्टोर्ट किया। आज से लगभग १० साल पहले की हालत का अपने दिमाग पर अन्दाजा करें तो इस बात का पता पूरी तरह स्वयं लगा पायेंगें। उस जमाने में आज से सैंकड़ों वर्ष पहले चौकीदार क्या कार्य करता था? कुछ वर्ष पहले गांव के चौकीदार से अपने यहां

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इस इलाके में चौकीदार कहते है और दूसरे सूबों में उसका अलग २ नाम है। लेकिन इस प्रकार का एक विलेज सर्वेन्ट प्रान्तों में और देशी राज्यों में मुकर्रर किया जाता था और कायम रखा जाता था। क्या काम लिया जाता था ? उससे काम लिया जाता था जिसे कहना चाहिए पुलिस का अटेन्डेन्ट, पुलिस का सप्लिमेन्ट और पुलिस का एजेन्ट। अब प्रश्न यह है, अध्यक्ष महोदय, कि आज के वर्तमान जमाने में क्या हमें इस प्रकार का एक रिलायेबल पुलिस एजेन्ट चाहिए ? क्या ऐसी स्थिति है आज कि जिसमें सामान्य पुलिस के कार्य के अलावा गांव के चौकीदार के रूप में एक व्यक्ति ऐसा चाहिए कि जो पुलिस के एजेन्ट के रूप में वह उस गांव के अन्दर कार्य कर सके ? यदि यह कार्य करने की मन्शा नही है, यदि यह फन्क्शन हम उसके नहीं मानते है तो मैं अदब से राजस्व मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि ये गांव के चौकीदार और क्या करेंगे ? जिस चौकीदार का जिक्र करके या नाम लेकर जो इस संशोधन को नामन्जूर करने के बारे मे सिफारिश कर रहे हैं उस गांव के चौकीदार को बाहर जाकर और दौड़कर जो सामान चुराकर ले गया है उसे जबरदस्ती पकड़ कर लाने का कानून नया गैरकानूनन परम्परा से अधिकार था। क्या आज उस अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है ? क्या इस चौकीदार को किसी प्रकार के कानून इस प्रकार के अधिकार दे सकते हैं कि जिसमें वह चोरी करने वाले को या गैरकानूनी कार्य करने वाले को या समाज विरोधी कार्य करने वाले पर कानून किसी प्रकार का एक्शन ले सके; पुलिस के बगैर सूचना देने का काम आपने उसका रखा है।

श्री दामोदरलाल व्यास—चोर को पकड़ने का हरेक व्यक्ति को अधिकार है, न कि चौकीदार को ही कानूनन अधिकार है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जितनें अधिकार हरेक व्यक्ति को हैं उससे ज्यादा एक चौकीदार को नहीं है। उससे ज्यादा यदि किसी को है तो पुलिस को हैं। तब फिर यह एक नया विलेज सरवेन्ट अब आप को कायम रख रहे है उसका कोई फन्क्शन नहीं है। His function is non-official नाम जरूर है लेकिन काम सिवाय इसके कि दौड़कर इत्तिला करें कुछ नहीं है। उसका नतीजा क्या होगा कि सुपरफ्लुइटी भले ही होती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा कि जिस व्यक्ति को केवल रिपोर्ट करने का अधिकार दिया है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, इमानदार हो या गैर इमानदार हो, अवश्यम्भावी रूप से डेवलपमेंट क्या होगा ? जिसका केवल रिपोर्ट करने का अधिकार है वह सच्ची या झूठी रिपोर्ट के आधार पर गांव के अन्दर टंटा लड़ाने का काम करेगा। आज मैं पूछना चाहूंगा कि भूतपूर्व राज्यों में, चाहे जयपुर हो अथवा जोधपुर हो, जहां जहां चौकीदारी प्रणाली चली जा रही हो वहां रीसेन्ट पास्ट के अन्दर क्या उसकी हालत थी। पुराने जमाने की बात गांव वाले कहते हैं और सही कहते हैं, लेकिन रीसेन्ट पास्ट में क्या हालत थी ? (समय समाप्ति सूचक घंटी) उसकी यह हालत थी कि उसका कोई प्रयोग आज के जमाने के अन्दर न संभव था और न हुआ। ऐसी हालत में मैं समझता हूँ कि जब उसके एक सरवेन्ट के रूप में जितने कार्य हैं वे पंचायतें करने वाली हैं, पुलिस ड्यूटीज के जितने कार्य हैं वह पुलिस ड्यूटीज के कार्य पुलिस

Page No.40

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

करेगी। केवल इन्फोर्मेन्ट के रूप में सरवेन्ट रखकर तनख्वाह नहीं दे। तनख्वाह देने के मामले को गांव वालों के सर पर छोड़े। न पूरी तनख्वाह दे इसमें क्या सेन्स है उस पर जिक्र करूंगा। यह न फायदे की चीज है, न काम की चीज हैं, इसलिए बड़े अदब से दरख्वास्त करूंगा कि उस दिन का जिक्र करते हुए उनको अब फिर से याद कराने की कोशिश करूंगा और मेरे संशोधन को स्वीकार करने के लिए कुछ यत्न करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी अपील सदस्यों के सामने रखता हूं और दूसरी बात हुई तो मैं अपना संशोधन मत के लिए प्रस्तुत करने के लिए आपसे दरख्वास्त करता हूं।

श्री जवानसिंह—ओन ए प्वाइन्ट आफ सजेशन, सर, यह बराबर अर्ज किया गया कि याददाश्त कमजोर पड़ रही है तो क्यों न एग्जामिन करा लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—Order please !

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री श्यामलाल गोयल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय। संशोधन पढ़ दूं ?

श्री दामोदर लाल व्यास—जी हां।

श्री अध्यक्ष—"In clause 48, insert the words "of group of villages" after the word "every village" in line 1 of the clause,"

जो इसके पक्ष में हों, हां कहें।.....

श्री दामोदर लाल व्यास—I had accepted it.

श्री अध्यक्ष—But still it has to be put to vote of the House.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री श्यामलाल गोयल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

श्री श्यामलाल गोयल का संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४८, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

क्लॉज ४८, संशोधित रूप से, विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ ४९

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४९ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४९ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ ५०

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५० विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५० विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज ५१ पर श्री हिम्मतसिंहजी और श्री भैरोंसिंह के संशोधन हैं । श्री हिम्मतसिंह ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा भी संशोधन है ।

श्री अध्यक्ष—वह भी आयेगा, अगर होगा तो ।

श्री राज हिम्मतसिंह (अटरू)—क्लॉज ५१ के बाबत जो मैंने संशोधन रखा है उसका अभिप्राय यह है कि अलबत्ता इसके अन्दर यह दर्ज है कि रेम्युनरेशन का जो सवाल है वह रूल्स में जो प्रेस्काइब किया जावेगा वही उनको मिलेगा । मेरा संशोधन इस गरज से है कि आज-कल देख रहे हैं और वर्षों से देखते चले आ रहे हैं कि विलेज सर्वन्ट्स को जो रेम्युनरेशन मिलता है वह नाकाफी है, जमाने को देखते हुए । रूल्स में गवर्नमेंट न जाने क्या प्रेस्काइब करेगी, यह मालूम नहीं । इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि :

[राज श्री हिम्मतसिंह]

"Substitute the words" 40 bighas of unirrigated land rent-free or Rs. 80/- per month as remuneration."

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तो मेरा सुझाव मन्त्री महोदय से यह है कि कम से कम विलेज सर्वेन्ट को इतना रेम्युनरेशन अवश्य मिलना चाहिए कि वह अपना गुजारा अच्छी तरह से चला सके। गांव वालों से जो थोड़ा बहुत नाज, पात मिल जाता है उसी से उनको गुजारा करना चाहिए, यह जमाने को देखते हुए काफी नहीं है।

मैं उम्मीद करता हूँ कि या तो मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे या जिस वक्त रूल्स बनेंगे उस वक्त इस पर जरूर ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—श्री एच. के. व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ५१ में मैं निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं :

"Provided that the payment of such remuneration shall be made in cash and from the Consolidated Fund of the state and shall in no case be below a living wage standard."

अभी चंद मिनिट पहले जैसा कि मैंने अर्ज किया, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस प्रकार के इन्स्टीट्युशन्स की विशेष आवश्यकता नहीं। उस समय यह कहा गया और अभी सदन ने इस पर अपनी राय भी व्यक्त करदी है कि वह आवश्यक हैं, क्लॉज ४८ स्वीकार भी हो चुकी है जिसके अन्तर्गत विलेज सर्वेन्ट्स की नियुक्ति का अधिकार भी राजस्थान सरकार ने दे दिया है, जिसकी राजस्थान सरकार को इतनी आवश्यकता महसूस होती है, जिस राजस्थान सरकार की यह राय है या नीयत है कि विलेज़ सर्वेन्ट्स नियुक्त किये जाने चाहिये, वह इस पर तुली हुई है कि वह नियुक्त करेगी ही उसी राजस्थान सरकार के नियत क्लॉज ५१ में आकर कुंठ हो गई, ऐसा प्रतीत होता है। उपाध्यक्ष महोदय, नियुक्ति के बारे में इतना तेज स्पष्टतः ठोस रूप से जोर दिया जा रहा था उतना ही गोलमाल रुख लिया जा रहा है उन नियुक्त किये हुए व्यक्तियों को तनख्वाह देने के बारे में, रेम्युनरेशन देने के बारे में और क्लॉज ५१ के जरिये हमेशा यह अधिकार लिया जा रहा है कि अभी नियुक्ती करने का अधिकार दे दिया फिर उसके बाद जितना रेम्युनरेशन देना है वह तय करने का अधिकार राजस्थान सरकार को है। मेरा संशोधन यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि यदि इस प्रकार के अधिकार राजस्थान सरकार लेना चाहे तो इस अधिकार को सीमाओं के अन्तर्गत बांध कर राजस्थान

Page No.43

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

सरकार को अधिकार दिया जाय। नियुक्ति करना है तो उसे इन्सान के रूप में जिंदगी बिताने लायक आजीविका उपार्जन के लिये भी इन्तजाम करना है। यदि इस प्रकार के विलेज़ सर्वेन्ट्स की आवश्यकता है तो जिस प्रकार दूसरे मुलाजिमों को तनख्वाह मिलती है उसी प्रकार उन्हें भी नक्द के रूप में, केश के रुप में कन्सोलिडेटेड फंड से दिया जाना चाहिये; न सिर्फ केश में दिया जाना चाहिये बल्कि जैसा कि मैंने अपने संशोधन में रखा है उसके आंकड़े राजस्थान सरकार जरूर तय करे परन्तु कम से कम जीने लायक स्तर उनका हो, एक इन्सान के तौर पर वे जिंदा रह सकें उतनी तनख्वाह उन्हें दी जानी चाहिये।

क्लाज ४८ के बारे में इतना जोर दिया जा रहा है, वही ५१ आते समय इतना गोलगाल में परिवर्तित हो जायगा। जितना जोर राजस्व मंत्री महोदय ने ४८ पर दिया उतना इस पर है या नहीं, आवश्यकता उस समय जितनी महसूस की गई अब उसी आवश्यकता के लिये जिन लोगों को मुकर्र र करते हैं उनको तनख्वाह देने का सवाल आता है उस समय उतना जोश प्रदर्शित करते हैं कि नहीं ...

जो चीज मुझे अर्ज करना है उससे पहले माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करूं कि इस समय हाउस में कोरम नजर कहीं आता।

श्री दामोदर व्यास—कोरम है, गिनिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—१५ ही हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—(सदन में आते हुए श्री ईश्वरीसिंह की ओर संकेत करते हुए) एक वे आ गये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—When he takes his seat then there will be Quorum.

माननीय उपाध्यक्ष, अब एक माननीय सदस्य आ गये हैं और उन्होंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है इसलिये कोरम हो गया है; अतः मैं यहीं से अपना भाषण जारी रखता हूँ।

तो मैं यह अर्ज कर रहा था उपाध्यक्ष-महोदय, कि यहां एक उसूल तय हो जाय, या तो प्रजातान्त्रिक ढंग से पंचायतों के जरिये यह कार्य कराना है तो वह हो। यदि राजस्थान सरकार चाहती है कि विलेज़ सर्वेन्ट्स मुकर्र र करना है तो उनकी यह खतरनाक हालत न रखी जाय कि विलेज़ सर्वेन्ट्स सरकार मुकर्र र करे और तनख्वाह राजस्थान सरकार न देकर गांव वाले दें। यह एक तरह से ऐसी हालत हो जाती है कि जिसमें पुराने जमाने की प्रथाओं और मौजूदा शासन प्रणाली, इनकी बुरी तरह से खिचड़ी पैदा करने की कोशिश की जाती है। नियुक्ति की बात हो और तनख्वाह के बारे में गांव वालों पर रखा जाना, कहां तक ठीक है? अथवा यह अधिकार राज्य सरकार

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अपने पास चाहती है तो मैं यह कहूँगा कि रूल्स बना कर रेम्युनरेशन मुकर्रर करे तो वे रूल्स बना सकते हैं कि उनको रेम्युनरेशन केश में मिलने चाहिये या काइन्ड में मिलने चाहिये, मगर मेरे कहने का मतलब यह है कि जो रेम्युनरेशन मुकर्रर हो वे उनके जीवन स्तर से नीचे नहीं होने चाहिये। मेरा यही निवेदन है कि राजस्व मन्त्री अपनी राय इस सम्बन्ध में देंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना एमेन्डमेंट प्रस्तुत करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री भैंरूसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—माननीय उपाध्यक्ष, यह जो क्लॉज़ ५१ है इसमें विलेज सर्वेन्ट्स को रेम्युनरेशन का प्रोविजन है। इसमें यह दर्ज है कि सरकार इसके लिये नियम बनावेगी कि उनको क्या मिलना चाहिये। अभी जो एमेन्डमेंट्स पेश हुए हैं उनमें दो एमेन्डमेंट्स एक तो कोटा से आने वाले सदस्य का और दूसरा जोधपुर से आने वाले सदस्य का। इन्होंने इस रेम्युनरेशन को फिक्स कराने की कोशिश की है। एक तरफ यह एमेन्डमेंट है कि ४० बीघा इरिगेशन लेन्ड फ्री दे दी जावे। उसके साथ साथ यह एमेन्डमेंट है कि ८० रुपयों से कम तनख्वाह नहीं दी जावे। जोधपुर से आने वालों ने अपनी कोम्युनिस्ट विचार-धारा का संशोधन रखा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह कोम्युनिस्ट विचार-धारा नहीं, बल्कि इन्सानियत की विचारधारा है।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जब रूल्स का प्रोविजन है तो रूल्स बनाते समय सरकार को यह देखना होगा कि कितना काम उनको करना होगा, कितने काम की आवश्यकता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुये उनका रेम्युनरेशन फिक्स किया जावेगा। यह ठीक नहीं है कि सब जगह के लिये एक सा रेम्युनरेशन फिक्स किया जावे क्योंकि एक गांव बड़ा हो सकता है और दूसरा गांव छोटा। बड़े गांव में ज़्यादा काम होगा। वहां पार्ट टाइम सरवेन्ट की जरूरत होगी, वहां पार्ट टाइम रखा जावेगा। ऐसी सूरत में इसके लिए कोई हार्ड एण्ड फास्ट रूल्स नहीं बनाये जा सकते कि कहां पर किसको क्या दिया जावे। हम सभी जानते हैं कि कोई गांव बड़ा होता है और कोई छोटा होता है और उसके अनुसार उनकी ड्यूटीज़ में भी फर्क हो सकता है। किसी को कम और किसी को ज्यादा काम करना पड़ता है। जब विलेज सरवेन्ट का प्रोविजन सरकार कर रही है तो मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ और खास जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य को क्योंकि उनको भ्रम है कि विलेज सर्वेन्ट्स को कम देंगे, कि जितना उनका काम होगा उसके लिहाज से उनको उचित रेम्युनरेशन दिया जावेगा। आप इस बात का विश्वास रखें। इस बात को वे खुद मानेंगे कि युनिफाइड रेट्स फिक्स नहीं किये जा सकते। इट विल डिफर फ्रोम विलेज टू विलेज क्योंकि इसमें फिक्स करने से डिफिकल्टी आवेगी।

श्री शम्भूसिंह—क्या गांव को ध्यान में रखा जावेगा, उनके पेट और परिवार को ध्यान में नहीं रखा जावेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने यह नहीं कहा। उनके काम के लिहाज से देखा जावेगा। हाल ही में एक ऐमेन्डमेंट इस सम्बन्ध में था; विलेज एण्ड ग्रुप ऑफ विलेजेज के आधार पर विलेज सर्वेन्ट रखा जावेगा इसलिये युनिफोर्म बेसिस कायम नहीं किया जा सकता है।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—माननीय उपाध्यक्ष, माननीय मंत्री महोदय ने एक बात मानी है।

श्री दामोदरलाल व्यास—One thing more. There is already a provision for these village services in Sections 91 to 93 of Tenancy Act. अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि विलेज सर्विसेज का प्रोवीजन है। मैं तो अर्ज कर रहा था कि युनिफोर्म रेट फिक्स नहीं कर सकते। आपको कई जगह ऐसी मिलेगी जहां पर उनको रेन्ट फ्री जमीनें दी गई हैं क्योंकि वे अपनी ड्यूटी का अन्जाम देते हैं; यह बात ध्यान में रखनी है।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—माननीय उपाध्यक्ष, मैं मानता हूं कि जमीन चोकीदारों और बलाइयों की है, उसको मानेंगे भी। वह रेन्ट फ्री रहेगा लेकिन युनिफोर्म बेसिस के बारे में किसी को कम होगा और किसी को ज्यादा होगा। लेकिन इसके साथ साथ काम का एलोटमेंट भी सरकार को देखना है कि एक आदमी कितना काम कर सकता है, उसके पास कितना काम रखना चाहिये ताकि काम भी ठीक हो और उसको गुजारे के लिये काफी रेम्युनरेशन मिल जाता है। मैंने पहले ही यह अर्ज कर दिया था कि रूल्स में यह आना चाहिये। कानून में आप लावें या नहीं लावें, उसके लिये मैं प्रेस नहीं करूंगा। लेकिन मैंने यह सुझाव दिया था कि कम से कम यह जरूर होना चाहिये कि जमाने को देखते हुए उनके खाने-पीने के साधन अच्छे हो जाने चाहिये। बेचारे विलेज सरवेन्ट्स को कितना काम करना पड़ता है ? जब कभी पटवारी कानूनगो और तहसीलदार वहां पर जाते है तब उनके घर पर लकड़ी, घास आदि का इन्तजाम करना पड़ता है।

श्री दामोदरलाल व्यास—पुराने जमाने की बात करते हैं।

श्री हिम्मतसिंह—आप उनसे काम भी लें और उनको खाने-पीने को भी न दें, यह बहुत बुरी बात होगी। जो रूल्स बनावें उसमें इसका ध्यान रखें कि उनको कम से कम इतना मिलना चाहिये जिससे उनका गुजारा हो सके। मैं अपने एमेन्डमेंट को प्रेस करना नहीं चाहता।

श्री उपाध्यक्ष—जो संशोधन श्री हिम्मतसिंह ने रखा है उसको वे वापिस लेने की आज्ञा चाहते है। क्या सदन की अनुमति है ?

[श्री उपाध्यक्ष]

(स्वीकृत)

वापिस लेने की इजाजत दी गई

श्री हिम्मतसिंह अटरु—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, दो मुद्दे राजस्व मन्त्री ने उपस्थित किये; एक तो यह कि टीनेन्सी एक्ट में पहले भी इस बात का उल्लेख है रेन्ट फ्री जमीनें देने का और दूसरी यह कि नौकरों की नियुक्ति काम और दूसरी चीजें देखकर; उनको अवश्य वाजिब तनख्वाह देने का प्रयत्न किया जावेगा। मैं यह अर्ज करूं कि ये दोनों ही मुद्दे न केवल नाकाफी है बल्कि वे इससे मेल नहीं खाते। मैं एक छोटी सी मिसाल पेश करूं माननीय उपाध्यक्ष, कि टीनेन्सी एक्ट पुराने जमाने से लागू है; उसमें भी इसी प्रकार के प्रोविजन हैं। दूसरे क्षेत्र की बात जाने दीजिये जो राजस्थान में खेती की दृष्टि से बहुत अच्छा इलाका है, गंगानगर के डिविजन में सैकड़ों ऐसी घटनाएं घटी है जिनमें एक मुरब्बे के अलग अलग खेतों को बांटने का काम लिया गया और मजदूरी देने के बारे में पुराने जमाने से जो प्रणाली चली आ रही है वही किया गया। अगर राजस्व मंत्री इस बारे में जांच करना चाहें तो उनको मालूम होगा कि मजदूरी सैकड़ों कैसेज़ में मिलाती नहीं। चाहे वह खेती का काम हो चाहे मजदूरी का काम हो। तो यह कह देना कि मौजूदा समय में व्यवस्था है और वह चलती रहेगी, यह तो महज दलीलें देना होगा। पुरानी दलीलें चलती नहीं हैं।

दूसरी बात उन्होंने जो कही वह बहुत खतरनाक है, उपाध्यक्ष महोदय, और वह खतरनाक इसलिये है कि उनका काम जितना होगा उसको देखकर रेम्युनरेशन मुकर्रर करने का उल्लेख इसमें किया गया है और यह भी जिक्र किया गया है कि मुझे इससे समाधान होना चाहिये। मुझे इससे रत्ती भर भी सन्तोष नहीं है और वे भी इन्सानियत का दृष्टिकोण रखें तो एक को छोड़कर दस को दे दो और फिर कह दो कि काम इतना ही है उससे उसका पेट तो रबर की बॉल की तरह से नियंत्रित नहीं है कि वह सिकुड़ जायगा, उससे उसके परिवार का एडजस्टमेंट नहीं होगा तो फिर क्या होगा? मैंने यह नहीं कहा कि एक रेट बना दीजिये, चाहे जितना जोड़ कर दीजिये या घटा कर दीजिये, मैंने सीमाओं में बन्द करने का संशोधन नहीं किया किन्तु उसूल को मानने का एक संशोधन रखा है और अगर उस उसूल के साथ साथ उसको वेतन नहीं देते हैं तो फिर उसके साथ अन्याय होगा। जीवन चलाने के वेतन के स्तर से उसको नीचा देते हैं, कम काम हो या ज्यादा हो, छोटा हो या मोटा हो, और जब आप जिम्मेदार होते हैं उस वक्त जब आप यह कहते हैं कि इतना ही काम था, इतना थोड़ा था, उस वक्त गैरजिम्मेदारी है, वह इन्सान है तो उसको जीवन वेतन जरूर मिलना चाहिये। लेकिन इस संशोधन को अस्वीकार किया जाता है, यह कह करके कि काम जितना होगा उतना वेतन दिया जायगा; उसका तात्पर्य तो यह हुआ कि पांच रुपये से लगा करके वेतन मुकर्रर किया जा सकता है, एक सीमा निर्धारित की जा सकती है कि कम काम है, कम वेतन है। कम काम की बात कही

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जा रही है । जब मेरे एक माननीय मित्र बोल रहे थे तो राजस्व मंत्रीजी ने टोक कर कहा कि पुराने जमाने की नहीं, आज के जमाने की बात कीजिये । पुराने जमाने में जितने लोगों के लिए लकड़ी-पानी लाना, ऊंट चराकर लाना, खाटें लाना और दुनिया भर के बेगार करने के काम का जिम्मा और मौजूदा जमाने में ऐसा किया जाता है केवल खयालात में परिवर्तन है लेकिन प्रणाली तो वही है। वाचमेन पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के अन्तर्गत रखा गया है । छोटा पटवारी हो, पुलिस का थानेदार हो, नायब तहसीलदार हो और यदि खुदानख्वास्ता माननीय मंत्री जी भी चले गये तो परेशानी तो उसको उतनी ही हो गई । बिल में लिखित काम के अलावा जो बगैर लिखे हुए काम हैं, मैं समझता हूँ कि अन्दर दीगर बेगार के काम भी गिनाये जा सकते हैं क्योंकि लिखित काम तो कम हैं और बेगार पूरी उसके मत्थे है; ही इसलिए उसको जीवन वेतन देना जरूरी है और यदि इस सिलसिले में माननीय राजस्व मन्त्रीजी खड़े होकर कह दे कि कम या ज्यादा स्केल होगी, उस सम्बन्ध में रूल्स होंगे और उनके लिए लिविंग वेजेज़ का स्टेन्डर्ड होना जरुरी है, लेकिन यदि वे जीवन वेतन के स्टेन्डर्ड को नामंजूर करतें हैं तो फिर कहने की बात और है और करने की बात और है और उस उम्मीद को मानते हुए कि वे मेरी बात को मानेगे नहीं; मैं इसको मत के लिए प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री एच. के. व्यास ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

((विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज़ ५१ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लाज़ ५१ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लाज़ ५२, श्री भैंरूसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लाज़ ५२ विधेयक का अंग बने ।

[श्री उपाध्यक्ष]

(स्वीकृत)

क्लाज ५२ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लाज ५३, श्री हिम्मतसिंह ।

राज श्री हिम्मतसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज ५३ के बाबत मेरा अमेन्डमेंट यह है कि "In Sub-Clause (1), line 2, delete the commas and words other than a village watchmen" और इसमें दूसरा अमेन्डमेंट यह है कि, "Delete sub-clause (2).

अमेन्डमेन्ट रखने का कारण यह है कि विलेज वाचमेन की, ड्यूटीज पुलिस के साथ है और पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के ऊपर इसको छोड़ दिया है; वही देखरेख करेगा, निगरानी करेगा, वहां से ही अपॉइन्टमेन्ट होता है और वहां से ही निगरानी, देखरेख होती है। इसलिए इसका रेवेन्यू बिल में पुलिस से सम्बन्ध जोड़ना मैं वाजिब नहीं समझता हूँ और इसी कारण से ये संशोधन रखे है। इसके डिलीट हो जाने से रेवेन्यू बिल में यह रह जाता है और दूसरों का अड़ंगा नही रहता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप समझेंगे और स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—There was another amendment of Shri H. K, Vyas.

श्री उपाध्यक्ष (श्री भैंरों सिंह)

(अनुपस्थित)

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा है साहब। लिस्ट नं० २; The amendment is 49 to Clause 53 at page 5, List No. 2.

श्री उपाध्यक्ष—Yes, Shri H. K. Vyas

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ५३ में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं। "In Clause 53 : Sub clause (2), Line 3:

"Delete the words "or as may be.........Superintendent of police."

विलेज सर्वेन्ट्स की ड्युटीज़ का उल्लेख किया है उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज ५३ में।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

उसके बाद तो अन्त में जो शब्द जोड़ दिये गये हैं, जिन्हें मैं समझता हूं कि जितना जल्दी हटा दिया जाय उतना ही अच्छा है। वे शब्द इस प्रकार हैं।

"as may be conferred and imposed on him by rules made under this Act or as may be required of him by the superintendent of police."

ये हैं विलेज़ सर्वेन्ट्स की ड्यूटीज़।

वाचमेन की दो ड्युटीज़ हो गईं; एक तो वह जो हम इस एक्ट के अन्तर्गत उसके लिए प्रोवीजन रख रहे हैं। इस क्लॉज के अन्तर्गत हम कुछ कार्य सौंप रहे हैं, दूसरा उसके बाद जो रूल्स बनेंगे उसके द्वारा भी उनको कुछ कार्य सौंपा जायगा। इस प्रकार से दो डयुटीज़ हो गईं। अब तीसरी ड्यूटी उनकी होगी और वह है सुपरिन्टेन्डेट पुलिस की "जो हुजूरी" और यही क्लॉज़ सदन द्वारा पास कराया जा रहा है। मुझे अच्छी तरह से याद है माननीय उपाध्यक्ष, कि सिलेक्ट कमेटी में एक बार यह सेन्टेन्स उड़ गया था, फिर कैसे आ गया, यह मैं नहीं कह सकता। यह मैं नहीं कहता कि सिलेक्ट कमेटी ने इसको डिलीट करने के लिए लिखा हो, लेकिन एक दफा यह भी हो गया था, यह सेन्टेन्स उस समय नहीं था। मेरी याददाश्त दुरूस्त है। यदि किसी को शंका हो तो वह उस दिन की मीटिंग के मिनिट्स को देख सकते हैं। बाद में लोगों की राय बदल गई हो, यह मैं नहीं कह सकता; वह दूसरी बात है। एक बार यह सेन्टेन्स उड़ जरूर गया था। खैर वह जाने दिया जाय। उस समय क्या हुआ था, क्या नहीं। अब सवाल तो यह है कि अब क्या हो रहा है? मेरा ऐसा खयाल है कि कम से कम यह संशोधन तो ऐसा है जिसे जरूर मान लिया जायगा और मान लिया जाना चाहिये। हम इस धारा के द्वारा क्या कर रहे हैं? आप जो कानून बनाने जा रहे हैं उसमें गुलामी की प्रथा को फिर से चालू करने जा रहे हैं। इस एक्ट के अन्दर जैसा कि दिया हुआ है विलेज़ सरवेन्ट को चौकीदारी करनी पड़ेगी अगर कोई लॉ ब्रेकिंग की घटना हुई हो तो उसकी रिपोर्ट करनी पड़ेगी। सेटलमेन्ट के डिमार्केशन के जो निशान लगे हुए हैं अगर उनको किसी प्रकार की कोई हानि पहुंचाता है तो उसकी सूचना भी देनी होगी; इस प्रकार की कई डयूटीज़ तो आपने इस एक्ट में रखी हैं लेकिन इन सब ड्यूटीज़ के बावजूद पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट को असिस्ट करने का काम जो वाचमेन का रखा हुआ है यह कभी भी न्यायसंगत नहीं है। रूल्स की तहद आप और भी ड्यूटीज़ वाचमेन के सुपुर्द करेंगे। इन सब के बावजूद ऐसा कौनसा काम बाकी रह गया जो आप उसको नहीं दे रहे है; इस पर भी आप पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट को यह अधिकार दे रहे हैं कि जो भी काम वह वाचमेन से लेना चाहे ले सकता है उसको उनका भी काम करना पड़ेगा। आखिर इन्सान को एक इन्सान की मातहत रखना कहां तक उचित है? यह तो आप उसको हैवानियत के बीच रख रहे हैं, पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट की मातहत उसको रख रहे हैं। एक इन्सान दूसरे इन्सान का गुलाम बना रहे है यह आपका कैसा कानून है? आप इसके द्वारा यह करने जा रहे हैं कि वह, पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट जो कुछ कहे उसको मानना होगा। आखिर इन्सान इन्सान है, उसने अपनी नौकरी के लिए ईमान तो बेचा नहीं, मान नहीं बेचा, दिमाग नहीं बेचा, धर्म नहीं बेचा है, विचार नहीं बेचा है। आप यह

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

चाहते हैं कि सब कुछ बेच कर वह सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस की जी–हुजूरी करता फिरे। सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के इशारे पर झूठी शहादतें इकट्ठी करता फिरे, लोगों से झूठे बयानात दिलवाता फिरे। आपको पुलिस की मदद के लिए उसके काम में सहायता देने के लिए साधन चाहिये। मैं समझता हूं कि इतनी दकियानूसी क्लॉज जिससे हम सब लोगों का सिर झुक जाता है, इस सदन के द्वारा पास करवाया जा रहा है।

मैं फिर से राजस्व मंत्री को याद दिलाऊं कि पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के सिलसिले में आगे भी कुछ क्लॉजेज थे, डिसीप्लीनरी एक्शन आदि के अधिकार जो सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को दिये गये थे वे सब काट दिये गये, जिसका रिपोर्ट में उल्लेख मोजूद है। उनको फिर से याद दिलाऊं कि जब इस प्रकार अमेन्डमेन्ट आया तो इनको पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट की मातहत रखा जाय; तो उसके लिये कोन्सीक्वेंशियल अमेन्डमेन्ट लाया गया था, बादमें इस बारे में कोई विचार हुआ हो तो मैं नहीं कह सकता। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसके इम्पलीकेशन्स को मद्देनजर रखते हुए, मैं पुरजोर यह अपील करूंगा कि ये शब्द इसमें से हटा दिये जांय। इन्सान इन्सान की तहत काम कर सकता है, किन्तु यह उसकी ड्यूटी नहीं हो सकती। इस प्रकार के जो शब्द हैं वे इसमें से हटा दिये जांय। इन शब्दों के साथ में अपना संशोधन सदन के सामने रखता हूँ और राजस्व मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष, यह जो अमेन्डमेन्ट जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा, जिसका उन्होंने पुरजोर शब्दों से समर्थन किया और इस बात का विरोध किया कि सुपरिन्टेन्डेन्ट को किसी प्रकार के अधिकार नहीं होने चाहिए, यह जो उनको भ्रम है वह गलतफहमी के कारण है। विलेज सर्वेन्ट और वाचमेन का जहां प्रोवीजन रखा "Such other duties as may be requird of him by the Superintendent of police." आप वाचमेन की ड्युटीज़ को देखेंगे तो आपको विदित होगा उसको गांव की निगरानी करनी पड़ती है, गांव के माल की, उनके मवेशियों की। तो उन लोगों को चोरी से बचाने के लिए विलेज सर्वेन्ट या वाचमेन मुकर्रर किया जाता है। मान लीजिए अगर चोरी हो जाती है, जरायम पेशा लोग अगर किसी प्रकार से चोरी कर लेते हैं उनकी निगरानी रखना भी तो चोकीदार का फर्ज है। अगर पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट किसी खास वजह से गांव में ऐसे जरायम पेशा लोगों की, जिनकी निगरानी रखना गांव के लोगों के जानमाल की हिफाजत के लिए आवश्यक है वह यदि चोकीदार को यह कह जाता है कि इसके कार्य पर वाच रखना तो यह कोई नावाजिब बात नहीं है। हमें किसी न किसी प्रकार से जरायम को रोकना जरूरी है। अगर हम इस कार्य में वाचमेन की ड्युटी लगा देते हैं तो इसके अन्दर क्या बुरा हुआ ? इसमें हमारे माननीय सदस्य को जोश आने की कौनसी बात है ? किसी अपराध और चोरियों को रोक थाम के लिये चोरियां बरामद करने के लिए अगर सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस कोई कार्य वाचमेन के सुपुर्द कर देता है तो इसमें अनुचित क्या बात है ? इसके लिए इतने जोर से कहा जाना कि यह इन्सान को गुलाम बनाने की बातें हैं, वाचमेन का पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट से किसी प्रकार का

[श्री दामोदरलाल व्यास]

संबन्ध न रखा जावे, यह गलत तरीका होगा । हम जो चाहते हैं वह यह कि गांवों में चोरियां न हों, गांव वालों को जरायम पेशा लोगों से मुक्ति मिले, अपराधों की रोक-थाम की जाय; तो यह तभी हो सकता है जब कि हम वाचमैन का पुलिस से संबन्ध रखें ।

एक बात यह भी कही गई कि सिलेक्ट कमेटी ने इसको नहीं चाहा है, उसके लिए मेरा इतना ही निवेदन है कि सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट सामने मौजूद है । उसमें इस क्लॉज़ के डिलीट करने के वास्ते कुछ भी नहीं कहा गया है । महज वहां डिस्कशन हो जाना, यह इस बात का सबूत नहीं है कि उसको मान लिया गया था । सिलेक्ट कमेटी ने इसको डिलीट नहीं किया, इसलिये हम यह मानते हैं सिलेक्ट कमेटी इसको रखना वाजिब समझती है । इस तरह से पुलिस की ड्युटीज़ को इसके साथ मिलाना नहीं चाहिये । मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—एक संशोधन और है ।

श्री दामोदरलाल व्यास—श्री हिम्मतसिंह का एमेन्डमेंट वैसा ही है। He wants to delete this clause altogether. The principle is the same. Both of them want that there should be no connection of the Superintendent of police with the village watchman.

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ एक बात और कहनी है । मैं ऐसा मान कर चलता था कि सिलेक्ट कमेटी की प्रोसीडिंग्स और रिपोर्ट के बारे में पूरी पूरी जानकारी मंत्री महोदय को है ।

श्री दामोदरलाल व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, सिलेक्ट कमेटी के जो डिस्कशन हुए हैं उनको माननीय सदस्य डिस्क्लोज़ करना चाहते हैं या क्या ?

श्री हरिकृष्ण व्यास--डिसक्शन्स के डिस्क्लोज़ करने का प्रिरोगेटिव तो राजस्व मन्त्री को है, बच जांय तो बात दूसरी है । न तो मैं ऐसा करता हूँ और अगर करता हूँ तो ढंग से करता हूँ; इसलिए मैंने डिस्कशन का हवाला न देकर छपी हुई रिपोर्ट का हवाला दिया था और मेरी यह मान्यता थी कि यह उनकी जानकारी से है, लेकिन मुझे अपनी भूल के लिए कुछ थोड़ी सी बात महसूस हो रही है कि मैंने भूल कर दी है । मैं आपके जरिये उनका ध्यान इस बिल के पेज ४ पर क्लाज़ ५७ के लिए जो लिखा है उसकी ओर दिलाऊं । जैसा कि पहले लिखा हुआ था कि

"Power to place village watchman under Police authorities:—

The State Governmant may declare that the powers of appointing and punishing a village servant under sections 54 and 56 shall be exercised in anyspecified local area by the Superintendent or Inspector of Police in respect of all or any of the village watchmen in that local area, subject to an appeal to the District Magistrate of that area within one month."

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

. इस क्लाज पर सिलेक्ट कमेटी ने जो उल्लेख किया है वह भी मैं आपकी आज्ञा से बतला दूं। रिपोर्ट के पेज ४ पर क्लाज ५७ के बारे में लिखा है कि—

"The clause has been omitted as in the opinion of the Select Committee it would not be proper to vest the power of appointing and dimissing a village servant in the hands of a Police Officer and that such powers should be exercisable only by the other officers prescribed in the Act."

मैं इस क्लॉज़ का उल्लेख कर रहा था, माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ का हेडिंग क्या है ? क्लॉज़ का हेडिंग यह है कि विलेज़ वाचमेन को पुलिस आफिसर्स के मातहत रखना या न रखना। सिलेक्ट कमेटी ने निर्णय किया है कि नहीं रखना। अब यह कहना चाहता हूँ कि सिलेक्ट कमेटी ने यह निर्णय रख दिया था कि क्लॉज़ ५३ के बारे में डेफिनिट निर्णय के रुप में कोई फाइंडिंग सिलेक्ट कमेटी की नहीं है, और मैं फिर अर्ज करुं कि यह सही है कि क्लॉज़ ५७ पर निर्णय होने के बाद कॉन्सीक्वेन्शियली ५३ पर वापिस किया था अमल। यह सही है कि ५३ के बारे में स्पेसीफाइड निर्णय दिस वे आर दैट वे नहीं है, लेकिन बाद की चीज के बारे में सिलेक्ट कमेटी का निर्णय एप्वायन्टिंग और डिसमिसल के बारे में हो गया था; तो फिर उसके बाद ऑटोमेटीकेली फॉलो होगा कि उसको पुलिस सुप्रिन्टेन्डेन्ट के मातहत रखने की बात अव्यवहारिक है। वैसे उसकी ड्युटीज़ यह हैं कि रिपोर्ट करे, इत्तिला करे। अगर वह अपनी ड्युटीज़ पूरी नहीं करेगा तो उस पर चार्जशीट हो जायगी। उसके बाद में एन्क्वायरी हो जायगी और एक्शन ले लिया जायगा। इसलिए यह चीज पूरी मेरे खयाल में नहीं आई है कि इसको लेते हैं तो पुलिस के काम में टंटा होने वाला नहीं है और न अड़चन होने वाली है। सुपरिन्टेन्डेन्ट के हाथ काफी बड़े हैं, लेकिन उस बेचारे को जान पर काफी भार हो जायगा। इतना ही नहीं क्लॉज़ ५७ के हटाने के बाद ऐसी ऐनामली हो जायगी कि एक्ट में पुलिस सुप्रिन्टेन्डेन्ट को यह पावर दी है कि जैसा वह कहे वैसा विलेज सरवेन्ट करे और अगर नहीं करे तो एक्शन लिया जायगा। उसको एप्वाइन्ट करने वाले एक, उसको डिसमिसल करने वाले दूसरे और उसको हुक्म देने वाले तीसरे; ऐसी एनामली है। यह सोच विचार कर कन्सेक्वेन्शियल एमेन्डमेंट के रुप में इस बात का जिक्र हुआ था। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जा सकता बाकी वह बता दें कि क्या २ बातें हुई थीं और क्या २ बातें नहीं हुई थीं। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इन सब बातों को खयाल में रखते हुए अभी भी इन सच ए लेटर स्टेज ५, ७ वर्ड्स के लिये अपने माइन्ड को नहीं खर्च करने के लिए नहीं बल्कि छोड़ने के लिए कह रहा हूँ। इससे ठीक ही होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से अर्ज करुं कि इसको मान लिया जाय, नहीं तो आप मत ले लें।

श्री दामोदरलाल व्यास—I have replied.

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है...

(श्री हिम्मतसिंह अटरु के कुछ कहने के लिए खड़े होने पर)

श्री हिम्मतसिंह जी कुछ कहेंगे ? प्रेस नहीं करना चाहते हैं ?

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—जी हां।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)

श्री हिम्मतसिंह को अपना संशोधन वापिस करने की इजाजत दी जाती है ।

श्री हिम्मतसिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री एच. के. व्यास ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५३ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लाज़ ५४, श्री हिम्मतसिंह ।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—क्लाज़ ५४ के बावत मेरा संशोधन यह है "For the words "Tehsildar.........or vacancy" Substitute the words "He shall direct the Gram Panchayat concerned to do ...." मैंने इस विचार से और यह समझकर संशोधन रखा था कि राजस्व मंत्री महोदय इस रेवेन्यु बिल के सम्बन्ध में भी ग्राम पंचायतों को भी कुछ अधिकार देने की कृपा करेंगे, और आज खास करके विलेज़ सर्वेन्ट्स की नौकरी जो कि ग्राम पंचायतों का अधिकार है उनके सुपुर्द किया जायगा, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है और सरकार की ऐसी नीति मालूम पड़ती है कि ग्राम पंचायतों को वे कुछ राज्य से पृथक समझती हैं । ऐसा समझा जाता है कि वह कोई नवाबजी का राज्य है ग्राम पंचायतें । जो २ मैंने पहले संशोधन रखे थे इसी विषय में, वे

[श्री हिम्मतसिंह अटरू]

आपने अस्वीकार किये । यह तो सरकार की मरजी है, लेकिन हमारा तो कर्तव्य है कि हम तो एक अच्छी और सही बात को सरकार के सामने रखें और सरकार उसको स्वीकार करे या नहीं यह उसकी इच्छा पर है । क्लाज़ इस प्रकार है ।

"Whenever the Collector directs that a village servant shall be appointed for a village or whenever a vacancy occurs in the office of a village servant, the Tehsildar shall within six weeks of such direction or vacancy make an appointment to the office."

मैं यह समझा हुआ था कि ग्राम पंचायतों को यह अधिकार देंगे, लेकिन यह तहसीलदार की इच्छा पर रखा गया है इस जमाने में जब कि ग्राम पंचायतें काम कर रही हैं, उनको अधिकार दे रहे हैं, उनको सेल्फ सफीशियन्ट बनाना चाहते हैं । यह एक विरोधाभास मालूम पड़ता है । अगर इसको राजस्व मन्त्री स्वीकार करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना यह खींचतान ग्राम पंचायतों और तहसीलदार साहब के बीच चलती रहेगी और सरकार के लिये एक हैडेक (Head ache) ही बनी रहेगी ।

श्री चांदमल मेहता—मैं मूव नहीं करना चाहता ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री श्यामलाल गोयल ।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मेरा बहुत छोटा सा संशोधन है । एक मेरा संशोधन था क्लाज़ ४८ में कि—"group of villages" बढ़ा दिये जांय । इन शब्दों को, इस अमेंडमेंट को मन्त्री महोदय ने मंजूर कर लिया था । बिलकुल वही शब्द इसमें एड करने हैं :

"Group of villages"

जो कि कोन्सिक्वेन्शियल हैं और क्लाँज़ ४८ के अमेंडमेंट के अनुसार आते हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कोन्सिक्वेन्शियल है, यह इनकी समझ में आया क्या ?

श्री श्यामलाल गोयल—हां, आ गया । यह कोन्सीक्वेन्शियल है इसलिये इसे स्वीकार कर लिया जाय ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—माननीय श्यामलाल जी गोयल द्वारा जो संशोधन पेश किया गया है उसको मैं स्वीकार करता हूँ और जो हमारे माननीय सदस्य कोटा से आने

[श्री दामोदरलाल व्यास]

वाले हैं, उन्होंने जो संशधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार करने में मैं समर्थ नहीं हूँ क्योंकि जो ड्युटीज़ विलेज सर्वेन्ट्स की रखी गई हैं उन्हें देखते हुये यह महसूस किया जाता है कि उनका कन्ट्रोल अभी तक सरकारी ओथोरिटीज के पास रहना जरूरी है और मैं समझता हूँ रहना चाहिये। जो उलझनें माननीय सदस्य ने पंचायतों को नहीं देने की सूरत में होने का कहा है दरअसल वे उलझनें पंचायतों को देने से और ज्यादा हो जायंगी क्योंकि उनकी ड्यूटीज ऐसी हैं कि उनका पंचायतों से सम्बन्ध ही नहीं है। ऐसी सूरत में पंचायतों को देना सिद्धान्ततः और व्यवहारिक रूप से ठीक नहीं होगा।

राज श्री हिम्मतसिंह अटरू—उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय के जवाब से सन्तुष्ट नहीं हूँ। इसका कारण यह है कि विलेज पंचायतों के वास्ते पंचायत एक्ट में प्रोविजन है कि सरकार पंचायतों को लगान वसूली का अधिकार दे सकती है और आगे जब वसूली का अधिकार दे सकती है और आगे जब वसूली का अधिकार देगी तो वहां के जो पटवारी हैं वे भी पंचायतों के नीचे आ जावेंगे। जब तक पंचायतों के आधीन पटवारी नहीं होंगे तो वसूली का काम नहीं होगा, पटवारी और इन लोगों को भी ग्राम पंचायतों के आधीन रखना होगा। मैं नहीं कह सकता कि सरकार ग्राम पंचायतों को लगान वसूली का अधिकार देना चाहती है या नहीं। आपके जवाब से तो ऐसा प्रतीत होता है कि लगान वसूली का काम आप ग्राम पंचायतों को नहीं देना चाहते। वास्तव में देखा जाय तो उन्हीं की जमीनें हैं, वसूली बगैरह का तमाम काम ग्राम पंचायतों के आधीन होना चाहिये। जिस एक्ट को हम पास कर चुके हैं उसके खिलाफ मन्त्री महोदय कार्य करने जा रहे हैं। उनकी मर्जी है। मैं चाहता हूँ कि इस पर मत ले लिये जांय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री हिम्मतसिंह ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री श्यामलालजी गोयल ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज ५४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

[श्री उपाध्यक्ष]

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५४, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रुप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ ५५, श्री भैरोंसिंह (अनुपस्थित)

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५५ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लाज़ ५५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा जाय ।

(विराम)

क्लाज़ ५६, श्री हिम्मतसिंह ।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके मूव करना नहीं चाहता क्योंकि मन्त्री महोदय पंचायतों को कोई अधिकार नहीं देना चाहते ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री श्यामलाल गोयल ।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज़ ५६ में मैं निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूँ—

"(a) In the marginal heading add the words 'and lambardar'

(b) In line one of sub-clause (1) insert the words 'or a lambardar' after the words 'A village servant.'

(c) In sub-clause (2) after the words 'village servant' in line one insert the words 'or a lambardar'.

माननीय उपाध्यक्ष, जो भी कोड बने वह सेल्फ कन्टेन्ड (Self contained) होना चाहिये । यह प्रोविजन है विलेज ऑफीसर्स और विलेज सर्वेन्ट्स का जो क्लाज़ ४३ से चला है । इसमें विलेज ऑफिसर्स और सर्वेन्ट्स की अलग अलग केटेगरीज़ रखी हैं और ४३ से ४७ तक जो क्लाज़ पास हुये वे विलेज लम्बरदार से ताल्लुक रखते हैं, बाद के विलेज सर्वेन्ट्स से ताल्लुक रखते हैं ।

[श्री श्यामलाल गोयल]

जिस रूप में क्लाज ५६ है उससे मालूम होता है कि जहां तक कि विलेज सर्वेन्ट्स हैं उनको हटाया जा सकता है और इसके लिये प्रोविजन है परन्तु विलेज लम्बरदार की क्या परिस्थिति होगी, इसके लिये एक शब्द भी नहीं है। जब एक शख्श अपोइन्ट किया जाय तो यह लाजिमी है कि उसको किन किन सूरतों में अलहदा किया जाय, इसके लिये प्रोविजन होना चाहिये। इसमें यह खामी रह गई थी।

जब इससे पेश्तर और दूसरी धाराओं पर विचार हो रहा था तो इस सिलसिले में कुछ अमेंडमेंट्स पेश हुए थे और मन्त्री महोदय ने उस समय कहा था कि ५६ में संशोधन आ रहे हैं और उसमें इनका समावेश हो जावेगा, इसलिये अभी इन अमेंडमेंट्स को वापिस ले लिया जाय। चुनान्चे उन अमेंडमेंट्स को उस वक्त वापिस ले लिया गया इसलिये विलेज सर्वेन्ट्स के आगे लम्बरदार और बढ़ा दिया जाय, इससे कोड पूरा हो जायगा; उनके पनिश्मेंट, रिमूवल, सस्पेन्शन आदि के लिये प्रोविजन हो जायगा। मैं अपना यह संशोधन प्रस्तुत करके प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इसे मंजूर कर लिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, और तो कोई संशोधन प्रस्तुत करने वाले नहीं हैं?

श्री उपाध्यक्ष—श्री भैरोंसिंह (अनुपस्थित)। श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष—मूव नहीं करना चाहते?

श्री चांदमल मेहता—Yes, sir.

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, श्री श्यामलालजी गोयल ने जो एमेन्डमेंट पेश किया है मैं उसको स्वीकार करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री श्यामलाल गोयल ने पेश किये हैं और मन्त्री महोयय ने स्वीकार किये हैं, वे स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज ५६, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

[श्री उपाध्यक्ष]

(स्वीकृत)

क्लॉज ५६, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ५७

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, इसमें संशोधन श्री नाथूरामजी मिर्धा ने रखा है, मगर वे आज सदन में मौजूद नहीं है। अगर आप मुझे इजाजत दे दें तो मैं इसको पेश कर दूं और इस पर बोल सकता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास—मुझे इसमें कोई ओब्जेक्शन नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—हमें ओब्जेक्शन है। मिनिस्टर साहब खुद इसको मूव कर सकते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लॉज़ के बारे में संशोधन रखा है कि सिलेक्ट कमेटी ने इस क्लाज को हटाने की सिफारिश की है, इसको बदस्तूर रख दिया जावे। मैं यह कहूंगा कि इसको रखना इसलिये जरूरी है कि चौकीदारी की ड्यूटी इस प्रकार की है उसका पुलिस से ऐसा संबन्ध है कि पुलिस के डाइरेक्शन उसको मिलना जरूरी है। क्रीमिनल और दूसरे लोगों पर वाच करना जरूरी होता है, इस लिहाज से इस सेक्शन को रखना जरूरी है। और वह इसलिये और इस लिहाज से जरूरी है कि अमुक स्पेसेफिक एरिया से डेकोइट्स आ रहे हैं या कोई डेकोइटी का एरिया हो या ऐसे अंडिज़ायरेब्ल पर्सन्स हों तो उसमें पुलिस के सहयोग की जरूरत होती है। इसलिये यह पोवर्स पुलिस अधिकारी को दे दिये जावें। इसलिये मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि ओरिजिनली इस क्लॉज़ को रेस्टोर कर दिया जावे।

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, अभी जो संशोधन माननीय मंत्री की तरफ से पेश हुआ है उसके विषय में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। मैंने यह नहीं पाया कि वे इस सिलेक्ट कमेटी के सदस्य नहीं थे, जिस वक्त की यह धारा विचारार्थ ली गई थी और उस पर जब फाइनल फैसला हुआ था। अगर उसमें उनकी सम्मति थी और वह भी बिल के मिनिस्टर इनचार्ज थे तो इस वक्त समझ में नहीं आया कि उन्होंने अपने विचार कैसे बदल दिये कि जो धारा डिलीट कर दी गई उसको अब वापिस कैसे मंजूर कर दी जावे। मुझे कुछ ऐसा जचता है कि समझ में उलट पुलट हो रही है; गलती उस वक्त हुई थी जब धारा ५३ पास हुई थी। उसके लिये कोन्सीक्वेन्यल एमेन्डमेंट होना चाहिये था। असलियत तो यह थी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ओन ए पोइन्ट ओफ ऑर्डर, सर, यह जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, इसके लिये जिस माननीय सदस्य ने नोटिस दिया उन्होंने तो इसको मूव नहीं किया और दूसरे किन्हीं ने कोई नोटिस नहीं दिया। क्या इसके लिये माननीय उपाध्यक्ष से मूव करने की प्रार्थना की गई ?

श्री दामोदर लाल व्यास—मूव करने की आज्ञा ली गई थी। आप उस समय सदन में मौजूद नहीं थे।

श्री उपाध्यक्ष—इजाजत दी गई।

श्री जवानसिंह—(जारी)तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि सोचने में उल्ट-पुल्ट हो रहा है। होना तो यह चाहिये था कि धारा ५३ में उस हिसाब से संशोधन होना चाहिये था। जब धारा ५७ डिलीट कर दी तो उस हिसाब से धारा ५३ में संशोधन होना चाहिये था। अगर उसमें किसी भूल से कोन्सीक्वेन्श्यल एमेन्डमेंट नहीं हुआ तो उसका अर्थ यह नहीं होना चाहिये कि जो गलती हुई है वह यहां पर दोहराई जावे और वह गल्ती यहां पर की जावे। वह गलती यहां फिर हो रही है कि इस क्लाज़ को वापिस इस बिल में रखा जा रहा है। मेरा यह निवेदन है कि जब माननीय मंत्री महोदय ने सिलेक्ट कमेटी में लोप होना मंजूर कर लिया है तो यह सही बात नहीं होगी कि इसको अब यहां पर रखा जावे। इसलिये बहतर यह होगा कि इस एमेन्डमेंट को वे आगे प्रेस न करें। यही उनके लिये बहतर होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, ऐसा प्रतीत होता है कि "चौबेजी छब्बे होने गये और रह गये दुब्बे"; वही कहावत यहां पर चरितार्थ हो रही है। सिलेक्टकमेटी के युनेनिमस निर्णय के विरोध में, सिलेक्ट कमेटी में जिन चीजों पर विचार हो चुका, बहस हो चुकी और निर्णय हो चुका उसके विरोध में खुद माननीय राजस्व मंत्री अचानक सशोधन प्रस्तुत करें, यह अनोखी घटना आज सदन में घट रही है। वे राजस्व मंत्री जिन्होंने बगैर किसी जस्टीफिकेशन के आरोप, लांछन लगाये कि अमुक अमुक बातें नहीं कहीं, हालां कि उन्होंने कही जुरूर थीं और आज सदन में नट (मना कर) रहे हैं। उन्होंने बड़े जोर-जोर से यह कहा था कि हमें एक परम्परा डालनी है और जहां तक मुझे याद है इस बात की तसदीक माननीय स्पीकर साहब ने की थी। पर वह चीज यहां लाना उचित नहीं होगा। तो इस परम्परा को इतनी बुरी बेदर्दी से तोड़ा जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आता कि हम इस बिल का क्या करना चाहते हैं; यह एक क्लॉज का प्रश्न नहीं है, एक क्लाज पर क्या निर्णय होता है, यह प्रश्न नहीं है।

(घंटी)

मैं आपसे यह अर्ज करता हूं कि आप थोड़ा समय दीजिये। असलियत में सिलेक्ट कमेटी मुकर्रर करने का मतलब यह है कि सभी विचारधाराओं का वहां समावेश हो सके और इसी लिये सिलेक्ट कमेटी मुकर्रर करने पर जोर दिया जाता है और जब यह परम्परा मानी जाती है और हम लोगों को इस प्रकार दबाने की कोशिश करते हैं कि यह बात मान ली जावे।......

श्री दामोदरलाल व्यास—कभी आपने एक बात भी मानी नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—बराबर मानी है। मैं इस बात को चैलेंज करता हूं कि इसमें मैंने अपना मत जाहिर किया था।

तो मैं यह अर्ज कर रहा था, माननीय उपाध्यक्ष, कि यह एक बहुत ही गलत परम्परा डालेंगे और सिलेक्ट कमेटी को बेमतलब की चीज बना देंगे। इसलिए पहले इसके कि इस क्लॉज की मेरिट पर जावें...

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—परम्परा का कोई नया सवाल नहीं है, पहले से है। टिनेन्सी बिल में बीसियों दफा हुआ है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, मैं बहुत रेस्पेक्टफुल्ली अर्ज करूं कि परम्परा का सवाल नहीं है, परम्परा तो पड़ी हुई है लेकिन परम्परा को तोड़ने का सवाल जो है उसके ऊपर एतराज है। परम्परा तोड़ने की बात विरोधी पक्ष की ओर से होती तो और बात थी, लेकिन खुद राजस्व मंत्री उस परम्परा को तोड़ रहे हैं। परम्परा तोड़ने का यही कायदा है तो फिर मेरा ख्याल है कि भगवान बचाये अपन सब को अगर कायदा बनाना है परम्परा तोड़ने का। तो इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये। सिलेक्ट कमेटी ने युनेनिमस इसको पास किया और खुद दूसरों पर पत्थर फैंकते हैं। यूनेनिमस डिसिजन (निर्णय) होने पर भी यहां पर यह बात कही जाती है। उसके लिए मुझे अर्ज करने की इजाजत अवश्य देंगे कि निर्णय नहीं हुआ उनके बारे में मतभेद हो गया, इसके लिए रेकर्डेड निर्णय है सिलेक्ट कमेटी का कि — The Select Committee was of the view-unanimously of the view including the hon'ble Revenue Minister. He now says that he has changed his view. He has no business to change his view.

तो मैं इसलिए इस पहली परम्परा के प्रश्न पर जोर देकर मेरिट्स पर दो चीजें अर्ज करना चाहता हूँ। इस क्लॉज़ को अब कायम रखना ना-मुमकिन है क्योंकि उनके जो अधिकार हैं वे अधिकार दूसरे अधिकारियों को देच चुके, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे चुके, रिपोर्ट करने का जिम्मा तहसीलदार का है and the Tehsildar will take appropriate action.

प्रिलिमिनेरी जांच करके फर्दर रिपोर्ट करेगा टु दी कलेक्टर। डिसिप्लिनरी एक्शन्स और फाइन्स के बारे में कम-ज्यादा अधिकार दे चुके, अपील के बारे में प्रोविजन कर चुके कि तहसीलदार के अमुक ऑर्डर्स की अपील हो पायगी टु दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट or Collector अमुक ऑर्डर्स की अपील नहीं हो सकेगी। इन सब चीजों को करने के बाद अचानक संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है तो उससे क्या सारा का सारा बिल रिकास्ट करना है, क्या जो अधिकार दे दिये गये हैं वापिस छीनना है, अपील के बारे में जो प्रोविजन कर दिया गया है उसको रद्द करना है? मैं चाहूँगा उपाध्यक्ष

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

महोदय, कि इस पर गम्भीर विचार किया जाय। एक क्लॉज़ का संशोधन किया गया तो सारे के सारे बिल में उखाड़ पछाड़ हो जायगी।

तीसरी बात यह है कि जिस वाचमेन को आप एक सेमी रेवेन्यू अधिकारी मानते हैं, जो विलेज की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने का एक अधिकारी मानते हैं और उसकी ड्यूटीज़ बिल में है वह उनकी पूरी करेगा। लेकिन उसको पुलिस का एक अंग बनाना क्या उचित है? मैं बिलकुल पैसे भर भी इस बात के बारे में कुछ समझ नहीं सका कि यह कैसे किया जा रहा है, कैसे अचानक यह संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है? जिसको आप सेमी रेवेन्यू सर्वेन्ट मानते हैं अथवा जिसकी ड्युटीज़ पुलिस ड्युटीज़ नहीं हैं, लिमिटेड पुलिस ड्युटीज़ हैं और वे ड्युटीज़ हम बिल के अन्दर दर्ज कर रहे हैं, रूल्स में दर्ज कर देंगे और उसके बाद एस. पी. को अधिकार दे दें कि एक्शन लो, तो इसका तो नतीजा यह होगा कि बहुत खतरनाक स्थिति गांवों के अन्दर विलेज सर्वेन्ट्स के लिये पैदा करेंगे। मान लीजिये लगान के सिलसिले में लोगों के उजरात हैं और ऐसी स्थिति में हमारी पुलिस आती है, इतनी इतनी ऊंची चीजें कर जाती है कि सेशन हो रहा है, मेम्बर आफ लेजिस्लेशन को इधर उधर से पकड़ लेती है और कमिश्नर जैसे अधिकारियों को प्रिविलेज कमेटी के सामने जवाब देनेंका मौका आता है, अब भी एक मामला चल रहा है; तो उसको एक एस. पी. या इन्स्पेक्टर के मातहत रख दें, एक टुच्चे से इन्स्पेक्टर के हाथ में उसकी गुड्डी दे दी जाय, यह उचित नहीं है। तो ऐसी चीज नहीं करने की आवश्यकता है और यह ओन इट्स मेरिट्स (on its merits) भी गलत चीज है। इसलिए इस प्रावधान के आधार पर जो फैसला हो चुका है उसको रिओपन नहीं किया जाय। केवल एक क्लॉज पर ही फैसला नहीं हो चुका है बल्कि पच्चीसों क्लॉज़ पर फैसला हो चुका है और इसमें तरमीमात करने का मतलब सारे के सारे बिल में उखाड़ पछाड़ मचानी पड़ेगी। इसलिए मैं चाहूँगा कि राजस्व मंत्री इस संशोधन को वापिस लेने की सदन से अनुमति मांगेंगे और उनको निर्विरोध इजाजत मिल जावेगी, ऐसी मेरी कल्पना है। अत: परम्पराओं के बारे में और सोच लें तो मैं समझता हूँ कि इस संशोधन की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।

रावत श्री शम्भूसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, माननीय राजस्व मंत्रीजी ने जो विलेज वाचमेन को पुलिस के अधिकार में रखने का संशोधन पेश किया है उसका मैं विरोध करना चाहूंगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब विलेज़ वाचमेन के क्लॉज पर बहस हो रही थी तो उस समय हमने इस बात के लिए निवेदन किया था कि विलेज वाचमेन का रेवेन्यू से सम्बन्ध न रख कर अनावश्यक बात पैदा कर रहे हैं तो माननीय मंत्रीजी ने उस वक्त हमारी बातें स्वीकार नहीं कीं। हमने यह भी कहा था कि पुलिस फन्कशन्स में क्या इन्टरफियरेन्स करना जरूरी है? पुलिस अपने खुद के वाचमेन नियुक्त करेगी लेकिन इतना विरोध होते हुए भी विलेज वाचमेन को रख ही दिया। उस विलेज वाचमेन को रेवेन्यू अधिकारियों के नीचे रखना चाहिये था लेकिन उनको पुलिस एस. पी. के नीचे रखा जा रहा है। तो यह बात देख कर आश्चर्य नहीं होता क्योंकि जब पुलिस के नीचे रखना जरूरी था तो फिर रेवेन्यू अधिकारियों के नीचे वाचमेन की जगह क्रियेट कर देते और खास कर उस

[रावत श्री शम्भूसिंह]

हालत में जब कि सिलेक्ट कमेटी ने युनेनिमसली और खास मंत्रीजी ने यहां इस बात को सपोर्ट किया कि ये जो क्लॉजेज़ हैं इनमें से निकाल दिये जावें और अब उन्हीं क्लाजेज़ को वापिस रखना चाहते हैं इस बिल में, तो इसके लिए माननीय मंत्रीजी ने यह बात एक्स्प्लेन नहीं की कि ऐसी कौनसी सरकम्स्टान्सेज एग्जिस्ट हो रही हैं जब कि वे उस वक्त तो नहीं थीं, जब कि ये क्लाजेज़ सिलेक्ट कमेटी में डिलीट किये गये थे और अब ही ऐसे कौन से सरकम्स्टान्सेज पैदा हो गये कि जिनकी वजह से इनको रखने की जरूरत वापिस पेश आयी। तो मेरा निवेदन है कि बजाय इसके कि यह क्लाज इसमें वापिस रखा जावे जो कि सिलेक्ट कमेटी ने निकाल दिया था, यह इसमें नहीं रखना चाहिये बल्कि जो क्लॉज़ विलेज वाचमेन के लिए है उसके अधिकार पुलिस को दे दिये जावें; यदि माननीय मंत्रीजी चाहते हैं कि पुलिस अधिकार एक्सरसाइज करे उस काम के लिये। विलेज वाचमेन इसमें से पूरा का पूरा निकाल दिया जाय और पुलिस को दे दिया जाय। एक तरफ तो पुलिस अपोइन्ट करेगी उनको और दूसरी तरफ वे रेवेन्यू अधिकार के अन्तर्गत रहेंगे, अन्य ड्यूटीज़ पुलिस के अधिकार में रहेंगी तो उनको भी दुविधा रहेगी कि वे किस डिपार्टमेन्ट के अन्तर्गत हैं। वह दो डिपार्टमेन्ट के अन्तर्गत चला जावेगा, तो उसको एन्टायरली पुलिस के अन्तर्गत ही क्यों न कर दिया जावे जिससे झगड़ा खतम हो जाय।

इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि विलेज वाचमेन को इस बिल में से निकाल दें और यदि फिर उसके लिए तैयार नहीं हैं तो जैसा कि सिलेक्ट कमेटी ने मान लिया था और तय कर लिया था तो उसमें वापिस तरमीम नहीं की जावे। मैं इतना ही निवेदन करके आशा करता हूं कि माननीय मंत्रीजी इस पर गौर फरमावेंगे।

श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष, क्लाज ५७ जिस प्रकार का यह क्लाज था इसको डिलीट करने की सिफारिश सिलेक्ट कमेटी ने की थी और अब इसी को रखने के लिये माननीय राजस्व मंत्री ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है; मैं उसका विरोध करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष, किसी भी कानून पर विचार करने से पूर्व हम यह मान कर चलते हैं, इस बिल में अगर यहां कोई विशेष प्रकार की त्रुटियां रह गई हैं, अगर कुछ भावनाओं का समावेश नहीं हुआ हो तो इस बारे में विचार करने के लिये इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाता है; क्योंकि प्रवर समिति में ऐसा वातावरण रहता है कि उसमें हर विचार-धारा के लोगों का समावेश होता है और उनकी विचार-धारा सुनी जाती है और उस पर अमल भी होता है और उनके द्वारा प्रस्तावित संशोधन मान भी लिये जाते हैं। अगर प्रवर समिति की रिपोर्ट को जो इस बिल के बारे में हमारे सामने आई है, पढ़कर देखेंगे तो इन क्लाजेज के बारे में अभी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विचार व्यक्त किये हैं वे बिल्कुल ठीक हैं। मैं तो समझता हूं विलेज सर्वेन्ट को परेशान करने के लिये, विलेज सर्वेन्ट के पद का दुरुपयोग करने के लिये यह सारी की सारी व्यवस्था की जा रही है। विलेज सर्वेन्ट की नियुक्ति से लेकर विलेज सर्वेन्ट को सजा देने, बरखास्त करने, उसे अपने पद से अलग करने आदि की जितनी भी सारी व्यवस्था है उसको

[श्री भैंरूसिंह]

देखते हैं तो पता चलता है कि उसके साथ बहुत ज्यादती की गई है। हमने इस बिल में लम्बरदार की नियुक्ति के लिये एक विशेष प्रकार की व्यवस्था की है। व्यवस्था में जो डिसक्वालिफिकेशन विलेज सर्वेन्ट के बारे में निश्चित की है उसी प्रकार की डिसक्वालिफिकेशन इनके लिए भी हम इस कानून में रख रहे हैं, अगर इसी प्रकार का कानून लम्बरदार के लिये हो सकता है; लेकिन लम्बरदार के लिये नियम बनाने की भी व्यवस्था है। उसके लिये इस कानून में शुरु से लेकर आखिर सर्विस की समाप्ति के समय तक की व्यवस्था इसमें की गई है। जहां उनकी नियुक्ति का अधिकार तहसीलदार और ए. डी. एम. को था वहां विलेज सर्वेन्ट की नियुक्ति के अधिकार पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्टको देते हैं। वाचमेन जिसका सम्बन्ध तहसीलदार से है, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट से है अगर किसी कार्य के लिये तहसीलदार या सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट यह समझता है, वाचमेन का यह काम ऐसा है कि इसको सजा मिलनी चाहिये लेकिन दूसरी ओर पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट, पुलिस इन्स्पेक्टर यह समझता है, यह काम ऐसा किया है कि इसके लिए इसको इनाम मिलना चाहिये, जिस कार्य को तहसीलदार समझता है, कि सजा मिलनी चाहिये और उसी काम पर पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट इनाम दिलवाना चाहता है; तो ऐसी हालत में यदि उसको सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के अधिकार में कर दिया गया तो यह बेजा बात होगी। मान लीजिये किसी का खलिहान के ऊपर झगड़ा हो गया, अनाज उठाने के सम्बन्ध में झगड़ा होगया है या मिनिस्टरों के स्वागत में किसी प्रकार की कमी आ गई है तो इस कमी के कारण एक अधिकारी तो उसको सजा दिलाने के पक्ष में है और दूसरा उसको इनाम दिलाने के पक्ष में है; तो ऐसी हालत में विलेज सर्वेन्ट को रखने का जिसको अधिकार देते हैं उसी के मरजी के अनुसार कार्य होगा। चाहे दूसरे अधिकारी कितनी शिकायतें उसके बारे में करते हैं उनकी कुछ भी सुनवाई नहीं होगी, यह एक अनहोनी सी चीज होगी। जिस दृष्टि से पुलिस अधिकारी उसको सजा का मुस्तहक समझते हैं राजस्व के अधिकारी, उसी कार्य के लिये उसको सजा का मुस्तहक नहीं समझते। लेकिन जहां विलेज सर्वेन्ट का प्रश्न आता है विलेज सर्वेन्ट को कितने प्रकार की केटेगरी है; विलेज सर्वेन्ट, वाचमेन, और विलेज बलाई। वाचमेन की ड्यूटीज़ में अगर हम यह चीज रखते हैं कि सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस अधिक से अधिक सेवायें विलेज सर्वेन्ट्स से कराये तो विलेज सर्वेन्ट चौकीदारी का काम जो वास्तव में उसका काम है और दूसरी प्रकार की केटेगरीज़ हैं उसमें हम इस धारा से पुलिस का जबरदस्ती बचाव रखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि विलेज सर्वेन्ट के काम के लिये विलेज सर्वेन्ट के ऊपर इन्स्पेक्टर या पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्क्वायरी कर सकता है, उसको सजा दे सकता है, इस प्रकार की चीज रखते हैं तो यह विलेज सर्वेन्ट के काम में पुलिस का अनुचित हस्तक्षेप को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इस दृष्टि से एक छोटी तनख्वाह पाने वाले पर चौतरफ से अंकुश रहेगा। सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस का अधिकार, तहसीलदार का अंकुश, लोकल बोडीज़ का अंकुश और सबको सजा देने का अधिकार यह उसके लिये बड़ी मुसीबत साबित होगी। अभी तक लोकल पंचायतों और म्युनिसिपेलिटीज़ को इस प्रकार के अधिकार नहीं दिये गये हैं किन्तु निकट भविष्य में वे भी अधिकार देने पडेंगे। लोकल बॉडीज़ को इस प्रकार के अधिकार देना ज्यादा उपयुक्त होगा बनिस्पत सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के। इस तरह से चारों तरफ से विलेज सर्वेन्ट पर दबाव रहने से वह बेचारा खुशामद करते करते मारा जायगा। उसको पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट की

[श्री भैंरूसिंह]

खुशामद करनी पड़ेगी; विलेज पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदि सब की खुशामद करनी पड़ेगी। इस प्रकार खुशामद के वातावरण में वह अपनी ड्यूटीज़ का अन्जाम ठीक प्रकार से दे नहीं सकेगा और यह सम्भव भी नहीं हो सकता। इस तरह से क्या होगा, इन तीनों संस्थाओं में से जो संस्था कमजोर होगी उसका वह कहना नहीं मानेगा। जिस संस्था में वह ज्यादा नैतिक और नेताओं की ताकत को देखेगा उसी की वह खुशामद करता रहेगा और नेताओं के बेकिंग करने वालों को प्रसन्न रखने की कोशिश करेगा। दूसरे भले ही कितनी ही शिकायतें करते रहें वह उनकी परवाह भी नहीं करेगा क्योंकि वह सोचेगा कि मुझे तो नेताओं का बल प्राप्त है, इस तरह से एक तरफ तो उसकी शिकायतों के कागजात चलेंगे और दूसरी तरफ नेताओं की सिफारिश के कारण उसकी तरक्की के कागजात चलते रहेंगे। इस प्रकार यह कोई जज नहीं कर पायेगा कि किसके कागजात सही हैं। इस तरह से अगर उसकी कोई गलती भी होगी तो भी वह सजा का मुस्तहक नहीं होगा। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि प्रवर समिति ने जो सिफारिश की है उसी क्लॉज को स्वीकार किया जाय।

क्योंकि अभी हमने सजा के बारे में क्लाज ५६ पास किया था जिसमें छोटा सा क्लाज रख दिया गया था.......... "(iii) to be otherwise unfit to remain in that office"

इसमें ड्यूटीज निर्धारित की हैं। इसके अलावा विलेज सर्वेन्ट पर जो इतने अंकुश रखे गये हैं जिसके कारण न तो उस पर अच्छी तरह से कन्ट्रोल ही हो सकेगा और न वह ईमानदारी से काम ही कर सकेगा और इस प्रकार से एक दूसरे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन भी नहीं रह पायेगा। कोऑर्डिनेशन की बजाय यह एक प्रकार से क्वार्लिंग हो जायगा। इसलिये मैं राजस्व मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि प्रवर समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसी को स्वीकार करें और उसको बारबार बदलने की चेष्टा न करें। आज से एक महिने पहले आपका दूसरा विचार था, बाद में कुछ दूसरा हो गया तो यह उसीप्रकार होगा जिस प्रकार टीनेन्सी एक्ट में अमेन्डमेंट आये विचार बदलने के साथ साथ, उसी प्रकार इसमें होगा और फिर बाद में संशोधन करने होंगे। विशेष जानकारी न रखने के कारण आप जो यह अमेन्डमेंट कर रहे हैं उसके लिये आपको हाउस को कोन्फीडेन्स में लेना पड़ेगा, उस सम्बन्धी महत्वपूर्ण बातें बतानी पड़ेंगी।

इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करता हूँ माननीय राजस्व मंत्री से कि वे अपने हठ को छोड़ें और जो प्रवर समिति ने रिपोर्ट दी है उसी को स्वीकार करें। और अपने संशोधन की स्वीकृति के लिये सदन से मांग न करें।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—माननीय उपाध्यक्षजी, मैं समझता हूँ कि जिस बक्त मैंने इस एमेंडमेंट को पेश किया था, मैंने इसके उद्देश्यों को बताया था काफी साफ करके। उस समय या तो माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे और यदि थे तो गलत समझे हों। यह एक स्पेशल प्रोवीजन है, और इसमें कोई अनुचित बात नहीं है किसी अमुक जगह के अन्दर, इन ए स्पेसीफाइड

[श्री दामोदरलाल व्यास]

लोकल एरिया । गवर्नमेंट अपने पॉवर्स जो कि उनके एपॉइन्टमेंट और डिसमिसल करने के हैं उन पॉवर्स को बजाय रेवेन्यू ऑथोरिटीज़ के पुलिस आथोरिटीज को डेलीगेट कर सकती है । और मैंने यह बतलाया था कि यह एक स्पेसीफाइड लोकल एरिया के लिए डेलीगेट की जायगी । जब कि किसी लोकल एरिया के अन्दर कोई खास बात होगी उस वक्त डेलीगेट करने की....

श्री भैरूसिंह (वि० सं० १६)—खास बात कह दें कि क्या होगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सदन में, मैं समझता हूं, आप नहीं थे जिस वक्त मैंने एमेन्डमेन्ट पेश किया था । यह कहना बड़ा आसान है कि कुछ कहा नहीं । मैं बतला रहा था कि पाँवर्स कब डेलीगेट होंगी और उस खास बात को आप जानना चाहते हैं तो वह यह है कि कुछ एरिया में क्रिमिनल्स ज्यादा हों या डकैतियाँ ज्यादा हों इस प्रकार के undesirable elements—I say undesiradle elements, का ज्यादा वहां पर मूवमेंट हो, उनकी हरकत बढ़ गई हो तो यह जरूरी है कि वहां पर पुलिस का इफेक्टिव कन्ट्रोल होना चाहिए; उस जगह के ऊपर इन बातों को रोकने के लिए ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पुलिस से ही रिकवर नहीं होते हैं तो चौकीदार क्या कर लेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—You know better. इसलिए हमने इसका स्पेशल प्रोवीजन किया है । इसलिए बनाया गया है कि "in a specified local area"; जहां ऐसी बातें पैदा हो गई हैं वहां एक चौकीदार पर कन्ट्रोल ट्रान्सफर कर दिया है रेवन्यू से पुलिस को; सिर्फ इसलिए कि तमाम बातों पर वह मदद कर सके । जब तक कोई इफेक्टिव कन्ट्रोल पुलिस का उस पर नहीं होगा उस वक्त तक पुलिस को शायद दुश्वारियां पेश आयें या दिक्कतें पेश आयें, उससे पूरा काम लेने में ।

दूसरी बात यह कही है कि क्लॉज़ ५६ पर पहले जो प्रोवीजन्स पास कर चुके हैं जिसके बारे में माननीय जोधपुर से आने वाले सदस्य ने बहुत ही कानूनी तरीके से बताया था कि इस प्रकार से प्रोवीजन्स नहीं रख सकते हैं, मैं अर्ज कर रहा हूं कि सिर्फ उन जगहों के लिए पाँवर्स डेलीगेट कर दिये थे । वहां पनिशमेंट के पावर्स दिये हैं, वहां अपील भी प्रोवाइड कर रखी है अदरवाइज आर्डिनेरिली और जगह यह डेलीगेटेड पाँवर्स नहीं होगें और वहां ऑर्डिनरी लॉ प्रोवाइड होगा । This is only a provision relating to the powers which are delegated in a specified local area.

इसलिए कन्ट्राडिक्शन या कन्फ्लिक्ट नहीं होगा इन दोनों प्रोवीज़न्स का ।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—क्लाज ५३ के सब क्लाज (२) को देख लीजिये ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—समझने की बात है ।

Page No.66

श्री दामोदरलाल व्यास—वही क्लॉज़ ५३ क सब क्लॉज़ (२) मैंने देखा है उसमें कोई कन्फ़्लिक्ट नहीं है। आप कन्फ़्लिक्ट बता दें तो। मैं, उपाध्यक्षजी आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप उन्हें इजाजत दे दें कि कोई कन्फ़्लिक्ट हो तो बता दें। I stand subjcet to correction. What is the conflict ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं बता रहा हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास—I have understood your point of view and you should still await my reply.

आपने जो कुछ कहा है मैं अभी बता रहा हूँ आपको। यह जो हमारे जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्य हैं उन्हीं का सवाल था। वे कन्फ्लिक्ट बताते हैं क्लाजेज ५६ और ५७ में। उन्होंने कारण बताया था। कारण यह बतलाया था कि जहां उनके रखने वगैरह का प्रोवीजन है तो और अब इस भाग की दूसरी ऑथोरिटीज को अधिकार देने का प्रोवीजन हो जाता है। इसके लिए मेरा यह अर्ज करना है कि इसमें कोई कन्फ्लिक्ट है नहीं। This is only with regard to special cases in a specified area and those powers ars delegated in those specified areas and not anywhere else. इसलिए यह क्वेश्चन पैदा नहीं होगा कि तहसीलदार कहेगा कि मेरे पॉवर्स कन्फ्लिक्ट होते हैं, एस. पी. कहेगा कि उनके पावर्स कन्फ़्लिक्ट होते हैं।

That question will not arise because in that specifeid area the powers will not remain with the Tehsildar but they will be delegated to the Superintendent of police. यह कन्फ्लिक्ट का सोचना बिल्कुल मेरे खयाल से गलत होगा।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—मुझे इजाजत हो तो मैं बता दूं।

मैं यह प्वाइन्ट आउट करना चाहता था कि क्लॉज ५३ के सब क्लाज (२) में लिखा हुआ है कि :—

"Every village watchman appointed under this Act shall exercise such powers and perform such duties as may be conferred and imposed on him by rules made under this Act or as may be required of him by the Superintendent of police." सुप्रिन्टेन्डन्ट पुलिस के अधिकार में तो वह रख दिया है कि जैसा सुप्रिन्टेन्डेन्ट पुलिस कहेगा तमाम चौकीदार वैसा काम करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास—यह ठीक है।

What is the conflict between clauses 53 and 57 ? clause 53 is a general provision. उनमें कन्फ़्लिक्ट क्या पैदा होता है। सेक्शन ५३ में जनरल प्रोवीजन है उनकी ड्यूटीज़ के बारे में कि बाद में रूल्स प्रेस्काइब कर दिये जायेंगे। and such other duties which may be

[श्री दामोदरलाल व्यास]

asked at the spur of the moment: कोई चोरी हो गई है, कोई वारदात हो गई है और एस. पी. मौके पर जाता है और वह चाहता है कि चोकीदार से काम लिया जाय कि फलां आदमी को ढूंढकर लाओ या फलां आदमी पर निगरानी करो तो That means this. What is the conflict between clauses 53 and 57? Clause 57 is a specific clause meant for specified areas and those powers are to be delegated under clause 57, not everywhere but only in the specified areas. So where is the conflict ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—कन्फ्लिक्ट बताऊं, माननीय उपाध्यक्ष !

श्री दामोदरलाल व्यास—दूसरा प्वॉइन्ट जो माननीय सदस्य जोधपुर से आये हुए हैं उन्होंने परम्परा की बात उपस्थित की है...

श्री हरिकृष्ण व्यास—कन्फ्लिक्ट तो सुन लें।

क्लाज़ ५७ के तहत सरकार यह पॉवर्स ले रही है "delegate these functions to somebody"; यह कैसे ले रही है कि जिस एरिया में यह पावर्स डेलीगेट हो जायेंगे उस एरिया में क्लाज़ ५६ के पॉवर्स वह कैसे उनको हो जायेंगे। क्लॉज़ ५६ में जो पॉवर्स हैं वे पॉवर्स एब्सोल्यूट हैं। क्लाज ५६ के पॉवर्स के जो ऑर्डर्स हैं उन ऑर्डर्स के बारे में अपील्स के जो प्रोवीजन्स हैं वे एब्सोल्यूट हैं In addition to that you can delegate the powers in certain areas but the original powers do not get exhumed,

उसका प्रोवीजन किया है आपने कहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—Read the whole and you will find the provision,

श्री हरिकृष्ण व्यास—General appeal against the orders of the Tehsildar to the Collector का प्रोवीजन है, वह प्रोवीजन एग्ज़्यूम नहीं होता; अगर एग्ज़्यूम होने के बारे में आपने प्रोवाइड किया है तो all the powers of the Tehsildar have vested. वैसा अगर कोई प्रोवीजन है तो लीगली समझ में आ सकता है लेकिन लीगली समझ में आता है कि पॉवर डेलीगेट करने के बारे में कह रहे हैं ओरीजिनल पावर्स एग्ज़्यूम नहीं होंगे। There will be a multiplicity of powers exercised simultaneously and jointly which will lead to a confusion,

श्री दामोदरलाल व्यास—Not at all.

माननीय उपाध्यक्षजी, फिर से आपसे अर्ज करूं कि माननीय सदस्य गलती पर हैं....

श्री हरिकृष्ण व्यास—एडवोकेट जनरल से पूछ लें।

श्री दामोदरलाल व्यास—It is quite clear as a matter of fact. The State Government may declare that the powers of appointing and punishing a village servant under clauses 54 and 56 shall be exercised in any specified local area by the Superintendent or Inspector of Police in respect of all or any of the village watchmen in that local area, subject to an appeal to the District Magistrate of that area within one month.

It is a self contained provision. It is a provision where by those powers which were under clauses 53, 56 conferred on the Revenue Officers shall be conferred on the Police Officers. उस सूरत में यह प्रोवीजन रख दिया है कि जो पनिशमेंट होगी या आर्डर होगा तो that will be subject to an appeal to the District Magistrate. इसलिए कोई कन्फिलक्ट का क्वेश्चन नहीं है। क्लाज ५६ के अन्दर जैसा कि कहा गया है यह प्रोवीजन नहीं किया है। रूल्स मेकिंग पॉवर्स गवर्नमेंट में हैं। रूल्स में प्रोवीजन हो जायगा। इसलिए यह कन्फिलक्ट का क्वेश्चन नहीं आता है। यह कहीं नहीं आता है कि यह दोनों ऑफिसर किसी एक एरिया में उन पॉवर्स को एक्सरसाइज़ करेंगे। So there is no conflict. That will not be the case and that is not the intention of the clause and there can be no interpretation like that.

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित रूप में जो क्लाज ५७......

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस पर मत लेने से पहले मेरा टेक्निकल ऑब्जेक्शन है और वह यह है कि जिन माननीय सदस्य ने यह संशोधन प्रस्तुत किया है उन्होंने इसका नोटिस नहीं दिया है....

एक माननीय सदस्य—इजाजत अध्यक्ष महोदय दे सकते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय कर सकते हैं, पर ऐसी इजाजत भी नहीं मांगी है।

श्री उपाध्यक्ष—इजाजत दे दी गई है।

श्री दामोदर लाल व्यास—इजाजत मांगी गई और दे दी गई, उस समय आप यहां थे नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लाज ५७, संशोधित रूप में, जैसा कि श्री दामोदरलाल व्यास ने प्रस्तुत किया है, स्वीकार किया जावे।

(मत-दान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—'ना' पक्ष जीता साहब।

श्री उपाध्यक्ष—क्या आप वोटिंग चाहते हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—हां साहब।

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि, संशोधित रूप से, जो क्लॉज़ ५७ श्री दामोदरलाल व्यास ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जावे।

(मत-दान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता ?

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—Noes have it, Sir.

कई माननीय सदस्य एक साथ—Ayes have it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष—तो क्या आप डिविजन चाहते हैं ?

श्री दामोदर व्यास—Let they be counted here. Why division ? यों ही गिन लीजिये साहब, कुल ६ ही हैं साहब।

श्री उपाध्यक्ष—डिविजन की इजाजत दी जाती है। एज़ वाले एज़ की लोबी में चले जांय और नोज वाले नोज की लोबी में चले जांयं।

(विभाजन के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष—संशोधन के पक्ष में ३७ मत प्राप्त हुए हैं और विरोध में १२ मत;

अतः क्लाज़ संशोधित रूप से विधेयक में जोड़ा गया।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

चूंकि समय हो गया है अतः सदन की कार्यवाही कल सुबह ८'३० बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही मध्यान्ह १२'३४ पर दिनांक २४.११.५५ के प्रातः काल ८॥ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक–२३ नवम्बर, १९५५

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।

सूचि (क)

परिशिष्ठ १

(कृपया प्रश्न संख्या २० का उत्तर देखिये)

ऐडीशनल सैशन्स कोर्ट, किशनगढ़, राजस्थान, को अदालत के असेसर्स की सूची

१ श्री मुरलीधर बोहरा	२ श्री ईदबक्ष पैरोकार साबिक
३ श्री रणछोड़दास पु० लक्ष्मीनारायण कल्ला	४ श्री रणछोड़दास पुत्र गिरधरदास प्रोहित
५ श्री मीर फरहत अली	६ श्री बिट्ठलदास पुत्र राव सा० श्रीधर प्रोहित
७ श्री श्यामलाल पुत्र रामप्रताप प्रोहित	८ श्री शंकरलाल पुत्र रामचन्द्र रांक
९ श्री नत्थूलाल पुत्र मंगलदास मतड	१० श्री कांतिचन्द्र पुत्र गोवर्धनदास प्रोहित
११ श्री गोरधन पुत्र लालूराम माली	१२ श्री बिट्ठलदास पुत्र वल्लभदास बोहरा
१३ श्री सुलेमान छींपा	१४ श्री अहमदबक्ष पुत्र नवीबक्ष छींपा
१५ श्री कन्हैयालाल आचार्य	१६ श्री जगदीश नारायण पुत्र सुखदेव धाभाई
१७ श्री अब्दुल गनी पुत्र भूरेखां भांजवी	१८ श्री जवाहरसिंह पुत्र रणजीतसिंह महता
१९ श्री घीसूलाल पुत्र मोतीलाल पंचोली	२० श्री गिरिराज पुत्र सुन्दरलाल धाभाई
२१ श्री सुलहकरण पंचोली	२२ श्री मुकनसिंह म्होणोत
२३ श्री शंकरलाल पुत्र ग्यारहलाल पंचोली	२४ श्री मदनगोपाल जोशी
२५ श्री किशनलाल दरोगा	२६ श्री फतेहलाल पुत्र कन्हैयालाल पण्डित
२७ श्री कर्नल ए. शर्मन्	२८ श्री बंशीधर शर्मा
२९ श्री ब्रजमोहन पुत्र रणछोड़दास प्रोहित	३० श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्रीनिवास पण्डित
३१ श्री बंशीलाल पुत्र रामचन्द मुखिया गोड़	३२ श्री मदनगोपाल पुत्र बन्नालाल प्रोहित
३३ श्री जयकृष्णदास पुत्र मथुरालाल कल्ला	३४ श्री खेमचन्द पुत्र राव सा० गोपीचंद छाजेड़
३५ श्री रामनारायण पुत्र बिहारीलाल प्रोहित	३६ श्री उमरावचन्द पुत्र श्री अमरचन्द पारख
३७ श्री सरदारमल पुत्र सुवालाल लोढ़ा	३८ श्री मेवदत्त मास्टर
३९ श्री धर्मचंद मोदी	४० श्री किशनचंद सिंधी
४१ श्री सुगनसिंह पुत्र डगरसिंह मेहता	४२ श्री दुर्गाप्रसाद माथुर
४३ श्री जोरावरसिंह पंचोली	४४ श्री बालचन्द डागा।
४५ श्री धन्नीराम जाट	४६ श्री गोपीलाल मीथल
४७ श्री हजारासिंह पुत्र रामसिंह सर०सिख	४८ श्री कल्याण बक्ष खोजा
४९ श्री लादूराम पारीक	५० श्री नन्दलाल दाधीच
५१ श्री राधेश्याम पाटोदिया	५२ श्री छालादीन शेख
५३ श्री बृजदास पुत्र फूंदालाल कल्ला	५४ श्री गोविन्दसिंह महनोत बजाज
५५ श्री लादूसिंह महता	५६ श्री छोटूसिंह राजपूत राटोड़

Page No.72

५७ श्री अमरचन्द बोहरा
५८ श्री सन्तोकचंद लोढ़ा
५९ श्री उमरावसिंह कोठारी
६० श्री चंद्रसिंह कोठारी
६१ श्री रतनलाल कामदार
६२ श्री लादूराम पुत्र तनसुख पहाड़िया
६३ श्री मूलचंद पुत्र नेमल सिंघी
६४ श्री भगवानदास सिंघी
६५ श्री किस्तूरचंद
६५ श्री मनोहरलाल बाहेती
६७ श्री मिट्ठूलाल सिंधी
६८ श्री रामेश्वरलाल कामदार
६९ श्री दारुलाल उर्फ कृपाकृष्ण कल्ला
७० श्री जानकीप्रसाद माथुर
७१ श्री बंशीलाल चेला
७२ श्री रणजीतसिंह पूरविया
७३ श्री बुद्धकरण अग्रवाला
७४ श्री शफी मोहम्मद पुत्र रमजानी छींपा
७५ श्री गोदूजी सिलावट
७६ श्री कजोड़ीमल पुत्र हीरालाल
७७ श्री गफूरखां पुत्र बेलीखां तंवर
७८ श्री अमरचंद जड़िया
७९ श्री अमरसिंह राजपूत
८० श्री मांगू पुत्र जवानजी गूजर
८१ श्री मूलचंद पुत्र लक्ष्मीनारायण पारीक
८२ श्री लादू पुत्र सुवालाल खटीक
८३ श्री रामदास रेगर
८४ श्री सुल्तानसिंह जामड़
८५ श्री छगनलाल जामड़
८६ श्री सूरजबक्ष पुत्र गुलाब
८७ श्री प्रेमचंद नायता
८८ श्री सूवालाल सुनार
८९ श्री भैरू माली
९० श्री दौलतमल छाजेड़
९१ श्री उगमचंद छाजेड़
९२ श्री मोहनलाल गरजराती
९३ श्री भगवानसिंह पूरविया
९४ श्री वीरबहादुरसिंह भण्डारी
९५ श्री उदयसिंह महणोत
९६ श्री गोविन्दसिंह पुत्र विजयसिंह महता
९७ श्री मोहनलाल पुत्र रामकरण पञ्चोली
९८ श्री अमरचंद भडमेचा
९९ श्री मानमल चोरडिया
१०० श्री छीतरमल गंधी
१०१ श्री घीसूलाल अग्रवाल (बजाज)
१०२ श्री वेराम पुत्र लक्ष्मण जाट सांवतसर
१०३ श्री रूपचंद पुत्र मूलचंद पाटणी
१०३ श्री मोतीलाल लखोटिया
१०५ श्री सरदारमल सेठिया

Page No.73

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या २८ का उत्तर देखिये)

LIST OF PERSONS NEWLY GRANTED PERMITS

1. Dwarka Dass Bhagvan Dass.
2. Shri Hafiz.
3. Banwari Lal
4. Ghanshyam Dass.
5. Rajendra Singh Siv Dutt.
6. Chiranji Lal Gupta.
7. Lal Chand Amar Nath.
8. Prem Swaroop.
9. Khendalwal Bros., Khatumar.
10. Mangi Lal Mohan Lal,
11. Madan Lal Mohan Lal.
12. Shiv Bhagvan Govind Kishor.
13. Partu Ram.
14. Hanuman Mal Keshara.
15. Shivdan Singh.
16. Ranjit Singh.
17. Lakhuram Durga Dutt.
18. Baluram Gullaram.
19. Nathu Singh.
20. Moti Lal.
21. Tahalram Mool Chand.
22. Hanuman Prasad.
23. Ramakishan Maliram.
24. Naurang Lal.Kabiruddin.
25. ,, ,,
26. ,, ,,
27. ,, ,,
28. Prabhu Dayal.
29. Badri Prasad Minar.
30. Poker Mal Jagguram.
31. Chiranji Lal Ram Richpal.
32. Sardar Motor Transport.
33. Pushakar Lal
34. Adarsh Transport.
35. Chodhri Chatar Pal Singh,

36. Munna Khan.
37. Dharmpal.
38. Raghuvir Saran.
39. Shri Hari Prasad.
40. Express Transport Service.
41. Raghunath Singh.
42. Krishan Bihari Lal Sharma,
43. Vidyasagar Rastogi.
44. Damodar Dass Bhagwandass.
45. Nathu Ram.
46. Bajrang Transport.
47. Kaluram Ram Nath.
48. Kishan Behari Lal Sharma.
49. Om Prakash.
50. Kanhaiya Lal Shaligram.
51. Shri Narain & Sons
52. Govind Ram.
53. Nathu Lal Brahma Nand.
54. Kamal Chand Kasliwal.
55. Jain Transport Co.
56. ,, ,,
57. Madan Lal Behari Lal.
58. Chotu Ram Govind Ram.
59. Behari Lal Phool Chand.
60. Janki Lal Amar Singh.
61. Shyam Lal Puran Mal.
62. Ghan Shyam Vyas.
63. Tikam Chand Soni.
64. ShriGopal Gupta.
65. Govind Sahai Hanuman Singh.
66. Darshan Singh.
67. Krishna Transport.
68. Vaid Prakash
69. Hardev Singh
70. Western Indian State Motors
71. Hansa Bus Service
72. Ram Kishore Laxmi Narain
73. Nathu Lal Kanhaiya Lal
74. Iqbal Kishan wali
75. Shri Raghava Achrya
76. Vishan Dass Hari Ram

77, Champa Lal
78, Bhura Kha Kachuwa
79, Khetan Transport Co.
80, Ram Nath Singh
8I, Govind Narain
82, Bhori Lal
83, Dr. Roop Kishore Sharma
84, Madan Behari Lal
85, Vijai Kumar
86, Ram Sahai Kanhiya Lal
87, Shard Kumar
88. Sohan Lal
89, Puran Mal
90, Harati Lal
91, Bhagvat Prasad
92, Janki Devi
93, Chatra Ram
94, Gehimal Hammal
95, Purshottam & Kishan Chand

परिशिष्ट ३

राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, १९५४ के खण्ड ५७ पर श्री राजस्व मंत्री, के संशोधन पर विभाजन

हां पक्ष—३७

क्रम संख्या सदस्यों के नाम

(१) श्री बद्रीलाल
(२) श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
(३) श्री बलवीरसिंह
(४) श्री भैरोंसिंह फ्रॉम राजसमन्द रेलमगरा
(५) श्री भानुप्रतापसिंह
(६) श्री चुन्नीलाल बिरला
(७) श्री दामोदर व्यास
(८) श्री दीनबन्धु परमार
(९) श्री धर्मपाल
(१०) श्री रामनिवास मिर्धा

क्रम संख्या सदस्यों के नाम

(११) श्री पीसीसिंह केटला
(१२) श्री जयसिंह रानावत
(१३) श्री गोपीलाल यादव
(१४) श्री जी० सी० कासलीवाल
(१५) श्री हंसराज जटिया फ्रॉम बारी
(१६) श्री हरीसिंह
(१७) श्री जयचन्द मोहिल
(१८) श्री कानसिंह
(१९) श्री कंवरलाल जेलिया
(२०) श्री केसरीसिंह फ्रॉम सोजत मैन
(२१) श्री खेतसिंह
(२२) श्री लक्ष्मण हिरात
(२३) श्री चांदमल मेहता
(२४) श्री मोतीलाल चौधरी
(२५) श्री ब्रजसुन्दर शर्मा
(२६) श्री रामपाल वंसीवाल
(२७) श्री रोशनलाल शर्मा
(२८) श्री केप्टिन सज्जनसिंह
(२९) श्री सम्पतराम
(३०) श्री शाह अलीमुद्दीन अहम्मद
(३१) महाराज श्री शिवदानसिंह
(३२) श्री श्री भानसिंह
(३३) श्री श्यामलाल गोयल
(३४) श्री सोहनलाल भटनागर
(३५) श्री सोमावाला भील
(३६) श्री उदयलाल वर्डिया
(३७) श्री वीरेन्द्रसिंह

ना पत्र—१२

क्रम संख्या सदस्यों के नाम

(१) श्री गोपालसिंह
(२) श्री छीतरलाल शर्मा
(३) श्री राज हिम्मतसिंह फ्रॉम अटरू
(४) श्री ईश्वरसिंह
(५) श्री जगतसिंह झाला
(६) श्री जवानसिंह सोलंकी
(७) श्री मोहब्बतसिंह
(८) श्री मुक्तिलाल मोदी
(९) श्री प्रतापसिंह फ्रॉम सुजानगढ़
(१०) रावत श्री शम्भूसिंह
(११) श्री तनसिंह
(१२) श्री हरिकृष्ण व्यास